# राष्ट्रपति द्वारा
# प्रख्यापित अध्यादेश

## 1950–2014

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2015

*संकलन:*
संदर्भ प्रभाग
संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध,
प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस),
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

पांचवां संशोधित संस्करण, 2015
चौथा संशोधित संस्करण, 2010
तीसरा संस्करण, 1996
दूसरा संस्करण, 1990
पहला संस्करण, 1985

*मूल्य:* 150 रुपए

© 2015 लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

## आमुख

भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में यह उपबंध है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि विद्यमान परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह समय-समय पर ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिनमें संसद के अधिनियम जैसा बल और प्रभाव हो। तदनुसार, संविधान के प्रवृत्त होने के बाद से और दिसंबर, 2014 तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 679 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं।

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, 1950-2014 नामक इस प्रकाशन में राष्ट्रपति द्वारा आज तक प्रख्यापित अध्यादेशों के बारे में सुसंगत आंकड़े व जानकारी दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें संसद के सत्रों के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की तारीखों, संसद के सदनों के सभापटलों पर अध्यादेशों के रखे जाने की तारीखों और अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की तारीखों का उल्लेख है।

आशा है कि यह प्रकाशन संसद सदस्यों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों, शोधार्थियों और अन्यों के लिए उपयोगी संदर्भ स्रोत सिद्ध होगा।

**नई दिल्ली;**
नवम्बर, 2015

**अनूप मिश्र**
**महासचिव**
**लोक सभा**

## प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति को, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद में कहा गया है:—

''123. (1) उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो, इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

***स्पष्टीकरण***—जहां संसद के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुन: समवेत होने के लिए, आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए छह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से की जाएगी।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा।''

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का संवैधानिक इतिहास इण्डियन काउंसिल एक्ट, 1861 से मिलता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, गवर्नर-जनरल आपात दशा में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता था जो अधिक से अधिक छह महीने तक लागू रह सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में गवर्नर-जनरल द्वारा स्वविवेक अथवा स्व-निर्णय की शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश प्रख्यापित करने का उपबंध था। तथापि, कतिपय मामलों में इसके लिए गवर्नर-जनरल को क्राउन से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक थी। गवर्नर-जनरल को तब भी, जबकि विधायिका सत्राधीन हो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। कोई अध्यादेश अधिक से अधिक छह महीने तक प्रभावी रह सकता था तथा पश्चात्वर्ती अध्यादेश के द्वारा इसे छह महीने से अनधिक अवधि तक और आगे बढ़ाया जा सकता था। अध्यादेश के प्रचालन की अवधि के निबंधन को भारत और बर्मा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1940 द्वारा हटा दिया गया। उक्त उपबंध 1 अप्रैल, 1946 के भारत और बर्मा (आपात समाप्ति) आदेश बना रहा। 1935 के एक्ट के अंतर्गत, क्राउन को अध्यादेश नामंजूर करने का अधिकार था। तथापि, भारत (अंतरिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा इस उपबंध का लोप कर दिया गया।

संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् अध्यादेश जारी करने की प्रथा का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत के राष्ट्रपति ने स्वयं को प्राप्त इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग तब किया है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो चुका था। बाद वाली स्थिति में, त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1956 से आरम्भ करते हुए कुछ उदाहरण देखने में आते हैं, जब लोक सभा सत्र में थी। तथापि, बहुधा परम्परा अध्यादेश तब प्रख्यापित करने की रही है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों। यदि कोई अध्यादेश सत्रावसान के आदेश की अधिसूचना जारी होने के पूर्व प्रख्यापित हो तो वह शून्य हो जाएगा।

अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करने की अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कर सकेगा। राष्ट्रपति का समाधान हो जाना, अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अंतर्गत इस शक्ति के प्रयोग की एक पूर्व-शर्त है। तथापि, *कूपर्स* बनाम *भारत संघ मामला,* 1970 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि कोई पीड़ित व्यक्ति उक्त शक्ति के प्रयोग को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे किसी वास्तविक समाधान की बात नहीं मानी जा सकती, अर्थात् दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का कृत्य असद्भावी था। तथापि, इसी मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के समाधान का औचित्य स्थापित करना कठिन है। अत:, न्यायाधीशों के बहुमत ने इस प्रश्न पर कोई अंतिम राय व्यक्त करना अनावश्यक समझा था। बाद में, भारत सरकार ने संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 बनाकर (अनुच्छेद 123 में खंड 4 अंत:स्थापित करते हुए) स्पष्टत: यह उपबंध किया कि

राष्ट्रपति (अथवा राज्यपाल) के समाधान पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकेगा। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा इस खंड का लोप कर दिया गया।

अत:, वर्तमान स्थिति के अनुसार, जबकि अध्यादेश जारी करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की विद्यमानता को लेकर न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के समाधान के बारे में जांच नहीं की जा सकती, तथापि, न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते समय संविधान द्वारा अधिरोपित सीमाओं का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं।

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की वैधता लोक सभा अध्यक्ष के विनिर्णय से विनिश्चित नहीं की जा सकती और न ही अध्यादेश के प्रख्यापन के मामलों में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार सभा, अर्थात् संसद द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 19 दिसम्बर, 1953 को अध्यक्ष (श्री जी॰वी॰ मावलंकर) ने यह विनिर्णय दिया कि सरकार की, जब वह चाहे, अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती, यद्यपि यह वांछनीय है कि उसका कम प्रयोग किया जाए। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि:—

> ''.....यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में है और इस पर इस सभा द्वारा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता।''

लोक सभा अध्यक्ष ने कई बार, सरकार द्वारा अन्त:सत्रावधि के दौरान, विशेषकर संसद सत्र के एकदम पहले अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही को गलत बताया है। जनवरी, 1947 में, तत्कालीन अध्यक्ष (श्री जी॰वी॰ मावलंकर) ने अध्यादेश जारी करने के संबंध में यह टिप्पणी की कि:—

> ''कार्यपालिका के लिए यह परिपाटी स्पष्ट रूप से गलत थी कि वह केवल समयाभाव के कारण अध्यादेश का प्रख्यापन करे। इस शक्ति का प्रयोग केवल उस समय किया जाना चाहिए, जब कोई आपातकालीन स्थिति हो और विधान मण्डल की बैठक न हो सकती हो। समयाभाव के कारण अध्यादेश प्रख्यापित करने का तरीका वांछनीय नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं असुविधाजनक कानूनों को भी अध्यादेश के माध्यम से प्रख्यापित कर दिया जाए।''

अध्यादेशों के प्रख्यापन के प्रश्न पर अध्यक्ष, श्री जी॰वी॰ मावलंकर तथा प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के बीच पत्र व्यवहार भी हुआ था। इस विषय के संबंध में अध्यक्ष, श्री जी॰वी॰ मावलंकर के पत्र के उत्तर में प्रधानमंत्री ने 13 दिसम्बर, 1950 को लिखा:—

> ''मैं समझता हूं कि मेरे सभी सहयोगी आपसे इस बात से सहमत होंगे कि अध्यादेशों का जारी किया जाना वांछनीय नहीं है और अध्यादेश तभी जारी किए जाने चाहिएं जब विशेष और अविलम्बनीय अवसरों पर ऐसा करना आवश्यक हो जाए। ऐसा अवसर कब उत्पन्न होता है और कब नहीं, यह विषय अपनी-अपनी सोच का है। न केवल किसी राज्य की सरकार बल्कि संसद के गैर-सरकारी सदस्य बराबर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नया कानून पास किया जाए। संसद की प्रक्रिया समुचित है और विचार तथा वाद-विवाद के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। इस बात का भी अवसर मिलता है कि गलतियों को रोका जा सके। यह बात स्पष्टतया वांछनीय है, परन्तु इस सारी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। परिणाम यह होता है कि महत्वपूर्ण विधान रुक जाता है। संसार की प्रत्येक संसद को इस कठिन समस्या का सामना करना पड़ा है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।''

दिनांक 22 फरवरी, 1952 को जब एक सदस्य ने एक अध्यादेश, जो कि वस्तुत: एक धन विधेयक था, के प्रख्यापन की वांछनीयता के बारे में पूछा तो, अध्यक्ष (श्री जी॰वी॰ मावलंकर) ने यह टिप्पणी की कि: ''मैं स्वयं अध्यादेशों के प्रख्यापन को पसंद नहीं करता हूं। अध्यादेश केवल तब जारी किया जाना चाहिए जब उसके सिवाय कोई और चारा न हो। सामान्यतया कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।''

अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने 17 जुलाई, 1954 के अपने पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर पुन: आकृष्ट करते हुए कहा कि:—

> ''.....पहली लोक सभा होने के नाते परम्परायें स्थापित करने की जिम्मेदारी हम पर आती है। प्रश्न सरकार के मौजूदा सदस्यों का नहीं है बल्कि परम्पराओं का है। यदि परिपाटी बनाकर हम अध्यादेश का प्रख्यापन केवल उन दशाओं तक सीमित नहीं कर सकते, जबकि अध्यादेश का जारी करना बहुत आवश्यक और अविलम्बनीय हो, तो उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश ही जारी करती जाये और लोक सभा के सामने सिवाय इसके कोई चारा न रहे कि वह अध्यादेश को स्वीकार करती जाये।''

श्री मावलंकर के पत्र के उत्तर में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिनांक 19 जुलाई, 1954 को, अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा कि:—

> ''हम अध्यादेश जारी करने में हिचकिचाते रहे हैं और हमने अध्यादेश तभी जारी किए हैं, जब परिस्थितियों ने हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया है। आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि यह फैसला करना सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति में क्या कदम उठाया जाना चाहिए। संविधान में ही इस बात का भी उपबंध किया गया है कि जब आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी किया जाए। इस संबंध में सरकार को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। विगत में हमने बहुत कम अध्यादेश जारी किए हैं और प्रत्येक अध्यादेश के संबंध में हमने संसद को बताया है कि वह किन कारणों से जारी करना पड़ा है।

मुझे स्वयं समझ में नहीं आता कि अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक क्यों समझा जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि किसी भी अन्य शक्ति की तरह इस शक्ति का भी दुरुपयोग हो सकता है और इस बात का फैसला अन्ततोगत्वा संसद को करना है कि इस शक्ति का प्रयोग उचित ढंग से किया गया है.....।''

16 नवम्बर, 1971 को तत्कालीन अध्यक्ष (डॉ॰ जी॰एस॰ ढिल्लों) ने श्री मावलंकर तथा पंडित नेहरू के समय में किए गए पूर्व निर्णयों का उद्धरण देते हुए पांचवीं लोक सभा की अवधि में अन्त:सत्रावधि के दौरान सरकार द्वारा बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही को नापसंद किया और यह टिप्पणी की कि:—

''मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसी कोई आपातस्थिति अथवा अविलम्बनीय स्थिति आ पड़ी है जिसके लिए अध्यादेश जारी करना उचित है।''

जब 22 नवम्बर, 1971 को कुछ सदस्यों ने यह मामला फिर उठाया तो अध्यक्ष ने टिप्पणी की:—

''मैं बस यही कह सकता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ठीक उस समय जब सभा का सत्रारंभ होने ही वाला हो, अध्यादेश जारी किया जाए।''

पुन: 13 नवम्बर, 1973 को अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि:—

''अध्यादेश जारी करना स्वयं में अच्छी बात नहीं है, विशेष रूप से तब जबकि तारीख (सभा के सत्र हेतु) बिल्कुल स्पष्ट है। तारीख न केवल स्पष्ट है बल्कि निकट भी है। ऐसी स्थितियों में, जब तक बहुत खास कारण न हों, अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिएं। मैंने 22 नवम्बर, 1971 को यह विनिर्णय दिया था—और मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी यही विनिर्णय दिया था।''

11 नवम्बर, 1974 को जब निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री ने पिछली अन्त:सत्रावधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की प्रतियां सभा पटल पर रखीं, तो कई सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए और सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किये जाने की आलोचना की। सदस्यों ने इस संबंध में अध्यक्ष से विनिर्णय की मांग की। इस पर अध्यक्ष (डॉ॰ जी॰एस॰ ढिल्लों) ने टिप्पणी की कि:—

''मैं पहले ही कह चुका हूं जहां सामान्य कानून से प्रयोजन सिद्ध हो जाता हो वहां इसकी (अध्यादेश जारी करने की) क्या जरूरत है। अध्यादेश के मामले पर केवल मेरे ही नहीं बल्कि मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों के भी यही विचार हैं..... मैं केवल उन्हें दोहरा रहा हूं और उसके अलावा परिस्थिति के अनुसार मैंने इसमें अपनी ओर से कुछ कहा है। मैं उन विभिन्न टिप्पणियों का समर्थन करता हूं।''

17 नवम्बर, 1980 को जब संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री ने पिछली अंत:सत्रावधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी 10 अध्यादेश पटल पर रखे तो एक सदस्य ने कहा कि ये अध्यादेश संसदीय प्रणाली के लिए खतरा हैं और अध्यक्ष को इस संबंध में सरकार से अपनी नापसंदगी जाहिर करनी चाहिए। इस पर अध्यक्ष (डॉ॰ बलराम जाखड़) ने टिप्पणी की कि:—

''मेरे माननीय पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस मामले पर समय-समय पर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने संसद के सत्रारम्भ से ठीक पहले अध्यादेश जारी करने पर असहमति प्रकट की थी। मैं इस बात पर उनसे सहमत हूं।''

यद्यपि, इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कानूनी रूप से अबाधित है, तथापि, देश की संसद यह सुनिश्चित करती रही है कि इस संबंध में कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्ति का दुरुपयोग न कर पाए। *लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के* नियम 71 का उद्देश्य सरकार की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का किसी प्रकार के आपत्तिजनक उपयोग किए जाने के लिए कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति है। नियम में उपबंध है:—

''(1) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसके रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुर:स्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाएगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए, जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णत: या अंशत: या रूपभेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद सत्र के प्रारम्भ में पटल पर रख दिया जाएगा।''

19 दिसम्बर, 1956 को जब लोक सभा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1956 पर वाद-विवाद चल रहा था, तो कुछ सदस्यों ने इसे संसदीय अधिकार तथा संवैधानिक औचित्य के अधिक्रमण की संज्ञा दी क्योंकि उनकी राय में उसके द्वारा कार्यपालिका को कर लगाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करना अभिप्रेत था। इस पर अध्यक्ष (श्री जी॰वी॰ मावलंकर) ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

''जहां तक कराधान उपाय का सवाल है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अवलंब नहीं किया जाना चाहिए। फलत:, यह अध्यादेश के स्थान पर आया है और इसे प्रभावी होना चाहिए; जब दोनों सभाओं का सत्र चल रहा हो तो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि केवल एक सभा का सत्र चल रहा हो तब कोई अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता है।''

पुन:, 22 नवम्बर, 1971 को, जब किसी सदस्य ने अतिरिक्त कराधान उपायों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहा, तो अध्यक्ष (डॉ॰ जी॰एस॰ ढिल्लों) ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में, मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में जो बात कह चुका हूं, आप मुझे उसे दोहराने के लिए न कहें। परन्तु यदि आपके विचार से वित्तीय कर तथा गैर-कर अध्यादेशों में कुछ फर्क होना चाहिए तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर मैं अपना निर्णय दे सकूं।''

जैसा पहले कहा जा चुका है कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद से 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 679 अध्यादेश प्रख्यापित हुए हैं। किसी एक वर्ष में सबसे अधिक 34 अध्यादेश वर्ष 1993 में और 32-32 अध्यादेश 1950 और 1996 में प्रख्यापित किए गए थे। वर्ष 1997 में 31 अध्यादेश जारी किए गए। वर्ष 1963 में कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया गया तथा 1960 और 1982 में एक-एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। 1950-59 के दौरान 88 और 1960-69 के दौरान 67 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए, जबकि अगले दशक (1970-79) में यह संख्या लगभग दो गुणा हो गई और 135 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए तथा 1980-89 के दशक में अध्यादेशों की संख्या में पुन: कमी हुई और केवल 93 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। 1990 के दशक में अध्यादेशों की संख्या में पुन: वृद्धि हुई जब 196 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। 2000-2009 (31 दिसम्बर, 2009) के दौरान 74 अध्यादेश जारी किए गए। 2010-14 (31 दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान 28 अध्यादेश जारी किए गए।

पिछले 64 वर्षों में प्रख्यापित कुल 679 अध्यादेशों में से 35 अध्यादेश ऐसे हैं जो अन्तरवर्ती अवधि में, अर्थात 26 जनवरी, 1950 को संविधान के प्रभावी होने के बाद, परन्तु 17 अप्रैल, 1952 को पहली लोक सभा के गठन से पूर्व की अवधि में जारी किए गए। प्रत्येक लोक सभा के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या में काफी अंतर है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान क्रमश: 37, 20, 31 और 34 अध्यादेश जारी किए गए परन्तु पांचवीं लोक सभा (1971-77) के दौरान इनसे लगभग तिगुने, अर्थात 93 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। तथापि, छठीं लोक सभा के दौरान, जिसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष, 4 महीने और 28 दिनों का रहा, इनकी संख्या कम होकर 27 रह गई। सातवीं लोक सभा के दौरान यह संख्या पुन: बढ़कर 58 हो गई किन्तु आठवीं लोक सभा के दौरान फिर से कम होकर 35 रह गई। नौवीं लोक सभा के दौरान, जिसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष, 2 महीने और 26 दिन का रहा, इनकी संख्या कम होकर 5 रह गई। दसवीं लोक सभा के दौरान यह संख्या फिर से बढ़कर 114 हो गई। ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभाओं के दौरान जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या क्रमश: 33, 22, 33 और 36 थी। ग्यारहवीं लोक सभा का कार्यकाल 18 महीने का था जबकि बारहवीं लोक सभा का कार्यकाल 13 महीने का था। 26 मार्च, 2002 को संसद की एक संयुक्त बैठक में आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 का स्थान लेने वाला विधेयक पारित किया गया। पन्द्रहवीं लोक सभा (मई, 2009-मई, 2014) के दौरान, 25 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।

# राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

**1950—2014**

# राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

## 1950–2014

| क्र॰ सं॰ | अध्यादेश का नाम और संख्या | अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने की तारीख | अध्यादेश की विषय-वस्तु | पिछले सत्र के समापन की तारीख | आगामी सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख | संसद की सभाओं (लोक सभा) के समक्ष रखे जाने की तारीख | अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक पर अनुमति की तारीख | अध्यादेश का स्थान लेने वाले/निरसित करने वाले अधिनियम का नाम और संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **1950** | | | | | |
| 1. | संसद (निरर्हता निवारण) अध्यादेश, 1950 (1950 का 12)[1] | 26-1-50 | भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों को ऐसे पद घोषित करना जिन्हें धारण करने से उसका धारक संसद सदस्य चुने जाने, और बने रहने से निरर्ह नहीं होगा। | 24-12-49 | 28-1-50 | 2-2-50 | 11-3-50 | संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 19) |
| 2. | उच्च न्यायालय (मुद्रा) अध्यादेश, 1950 (1950 का 13) | 26-1-50 | राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा समान आकार-प्रकार की मुद्रा के उपयोग का उपबंध करना। | 24-12-49 | 28-1-50 | 2-2-50 | 27-2-50 | उच्च न्यायालय (मुद्रा) अधिनियम, 1950 (1950 का 7) |
| 3. | न्यायिक आयुक्त न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषणा) अध्यादेश, 1950 (1950 का 14) | 26-1-50 | भाग-ग के राज्यों में न्यायिक आयुक्त के न्यायालयों को संविधान के कतिपय उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करना। | 24-12-49 | 28-1-50 | 2-2-50 | 10-3-50 | न्यायिक आयुक्त न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषणा) अधिनियम, 1950 (1950 का 15) |
| 4. | स्वेच्छया वेतन अभ्यर्पण (करों से छूट) अध्यादेश, 1950 (1950 का 15) | 26-5-50 | कतिपय व्यक्तियों जिन्होंने अपने वेतन का कुछ भाग सार्वजनिक हित में स्वेच्छा से त्याग दिया है, को आय पर करों से छूट का उपबंध करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 24-8-50 | स्वेच्छया वेतन अभ्यर्पण (करों से छूट) अधिनियम, 1950 (1950 का 61) |
| 5. | दन्त चिकित्सक (समय का विस्तार) अध्यादेश, 1950 (1950 का 16) | 29-5-50 | दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कतिपय मामलों में समय-सीमा के विस्तारण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 22-8-50 | दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 58) |
| 6. | न्यूनतम मजदूरी (समय का विस्तार) अध्यादेश, 1950 (1950 का 17) | 16-6-50 | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-एक में विनिर्दिष्ट नियुक्तियों में न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने हेतु समय-सीमा के विस्तारण का उपबंध करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 22-8-50 | न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 56) |
| 7. | छावनी विधि (विस्तार और संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 18) | 19-6-50 | छावनी गृह आवास अधिनियम, 1923 और छावनी अधिनियम, 1924 को भाग 'ख' राज्यों में लागू करने, वयस्क मताधिकार के आधार पर छावनी बोर्डों | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 18-8-50 | छावनी विधि (विस्तार और संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 53) |

[1]इस अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | में चुनाव और छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाने का उपबंध करना। | | | | | |
| 8. | निवारक निरोध (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 19) | 23-6-50 | निवारक निरोध अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 14-8-50 | निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 50) |
| 9. | मंत्रियों का वेतन (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 20) | 29-6-50 | मंत्रियों का वेतन अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 22-8-50 | मंत्रियों का वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 59) |
| 10. | नौसेना (प्रकीर्ण उपबंध) अध्यादेश, 1950 (1950 का 21) | 23-7-50 | भारत की नौसेना के संबंध में कतिपय अतिरिक्त उपबंध करना ताकि उनके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाये रखना सुनिश्चित किया जा सके। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 22-8-50 | नौसेना (प्रकीर्ण) उपबंध अधिनियम, 1950 (1950 का 57) |
| 11. | पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1950 (1950 का 22) | 24-7-50 | पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1949 में संशोधन करना। | 20-4-50 | 31-7-50 | 1-8-50 | 22-8-50 | पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का 55) |
| 12. | अजमेर अभिधृति और भूमि रिकार्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 23) | 28-8-50 | अजमेर अभिधृति और भूमि रिकार्ड अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 1-12-50 | अजमेर अभिधृति और भूमि रिकार्ड (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 63) |
| 13. | एलयांज डंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेन्स बैंक (अन्तरण) अध्यादेश, 1950 (1950 का 24) | 1-9-50 | एलयांज डंड स्टटगार्टर लाइफ इन्श्योरेन्स बैंक लिमिटेड के कारबार का यूनाइटेड इंडिया लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी में अंतरण और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 1-12-50 | एलयांज डंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अन्तरण) अधिनियम, 1950 (1950 का 62) |
| 14. | चीनी संकट जांच प्राधिकरण अध्यादेश, 1950 (1950 का 25)[2] | 1-9-50 | जांच प्राधिकरण को कतिपय शक्तियां प्रदान करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | -शून्य- | -शून्य- |
| 15. | माल की आपूर्ति और मूल्य अध्यादेश, 1950 (1950 का 26) | 2-9-50 | संविधान के अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत एक संकल्प के अनुसरण में कतिपय वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण तथा उनकी पूर्ति और वितरण का उपबंध करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 23-12-50 | माल की आपूर्ति और मूल्य अधिनियम, 1950 (1950 का 70) |
| 16. | निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 27) | 6-9-50 | निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 7-12-50 | निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 66) |
| 17. | भारतीय आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 28) | 7-10-50 | भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 23-12-50 | भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 71) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 29) | 17-10-50 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 23-12-50 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 73) |
| 19. भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 30) | 21-10-50 | भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 20-12-50 | भारतीय टैरिफ (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 69) |
| 20. आवश्यक पूर्ति (अस्थायी शक्तियां) संशोधन अध्यादेश, 1950 (1950 का 31) | 8-11-50 | आवश्यक पूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 23-12-50 | आवश्यक पूर्ति (अस्थायी शक्तियां) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का 72) |
| 21. भारतीय टैरिफ (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1950 (1950 का 32) | 8-11-50 | भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में संशोधन करना। | 14-8-50 | 14-11-50 | 15-11-50 | 20-12-50 | भारतीय टैरिफ (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 69) |

## 1951

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. आवश्यक सेवा (हड़ताल रोकना) अध्यादेश, 1951 (1951 का 1)[3] | 11-7-51 | कतिपय आवश्यक सेवाओं में हड़ताल रोकने का उपबंध करना। | 9-6-51 | 6-8-51 | 7-8-51 | -शून्य- | -शून्य- |
| 2. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1951 (1951 का 2) | 14-7-51 | कतिपय विशेष मामलों में रेल कंपनियों के उचित प्रबंधन और प्रशासन का उपबंध करना। | 9-6-51 | 6-8-51 | 7-8-51 | 14-9-51 | रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 51) |
| 3. भारतीय कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1951 (1951 का 3) | 21-7-51 | भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 में संशोधन करना। | 9-6-51 | 6-8-51 | 7-8-51 | 14-9-51 | भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 52) |
| 4. पंजाब स्थावर संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1951 (1951 का 4)[4] | 3-8-51 | पूर्वी पंजाब स्थावर संपत्ति अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1948 में संशोधन करना और कतिपय अधिग्रहणों और अर्जनों के विधिमान्यकरण का उपबंध करना। | 9-6-51 | 6-8-51 | 7-8-51 | 15-9-51 | पंजाब स्थावर संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1951 (1951 का 2) (राष्ट्रपति अधिनियम) |
| 5. पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1951 (1951 का 5)[4] | 3-8-51 | पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम, 1949 में संशोधन करना। | 9-6-51 | 6-8-51 | 7-8-51 | 12-9-51 | पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1951 (1951 का 1) (राष्ट्रपति अधिनियम) |
| 6. भारतीय स्वतंत्रता पाकिस्तान न्यायालय (लम्बित कार्यवाहियां) अध्यादेश, 1951 (1952 का 6) | 29-10-51 | पाकिस्तान में न्यायालयों द्वारा भारत की किसी सरकार के प्रति जारी कुछेक डिक्री और आदेशों को निष्प्रभावी करना और जिन व्यक्तियों को ऐसी डिक्री अथवा आदेश प्राप्त हुए हैं, उन्हें वैकल्पिक उपाय प्रदान करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 6-2-52 | 23-2-52 | भारतीय स्वतंत्रता पाकिस्तान न्यायालय (लम्बित कार्यवाहियां) अधिनियम, 1952 (1952 का 9) |

[2]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[3]अध्यादेश प्रख्यापन के समय संसद में लंबित संगत विधेयक 20-12-1951 को वापस लिया गया।

[4]1951 के अध्यादेश संख्यांक 4 तथा 5 संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) संशोधन अध्यादेश, 1951 (1951 का 7) | 30-10-51 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) अधिनियम, 1949 में संशोधन करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 23-2-52 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 7) |
| 8. | कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951 (1951 का 8) | 15-11-51 | फैक्ट्रियों और अन्य स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि शुरू करने का उपबंध करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 4-3-52 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) |
| 9. | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1951 (1951 का 19) | 5-12-51 | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 4-3-52 | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 18) |
| 10. | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1951 (1951 का 10) | 27-12-51 | विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 23-2-52 | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 8) |
| | | | **1952** | | | | | |
| 1. | कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अध्यादेश, 1952 (1952 का 1) | 8-1-52 | कोयले के संरक्षण का उपबंध करना तथा कोयला खानों में सुरक्षा के और उपबंध करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 4-3-52 | कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, 1952 (1952 का 1) |
| 2. | उत्तर प्रदेश छावनी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अध्यादेश, 1952 (1952 का 2) | 16-1-52 | उत्तर प्रदेश छावनियों में घरों के किराये नियंत्रण का उपबंध करना तथा उसमें से किरायेदारों को बेदखली से बचाना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 27-2-52 | उत्तर प्रदेश छावनी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 (1952 का 10) |
| 3. | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अध्यादेश, 1952 (1952 का 3) | 25-1-52 | संघ के लिये स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन का उपबंध करना। | 16-10-51 | 5-2-52 | 13-2-52 | 14-3-52 | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) |
| 4. | सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्रीय सीमा शुल्क हटाना तथा पत्तन विकास शुल्क लगाना) निरसन अध्यादेश, 1952 (1952 का 4) | 2-4-52 | सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्रीय सीमा शुल्क हटाना तथा पत्तन विकास शुल्क लगाना) अध्यादेश, 1949 का निरसन करना। | 5-3-52 | 13-5-52 | 16-5-52 | 10-6-52 | सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्रीय सीमा शुल्क हटाना तथा पत्तन विकास शुल्क लगाना) निरसन अधिनियम, 1952 (1952 का 39) |
| 5. | विस्थापित व्यक्ति (दावे) चालू रखना अधिनियम, 1952 (1952 का 5) | 5-5-52 | विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 को चालू रखना। | 5-3-52 | 13-5-52 | 16-5-52 | 10-6-52 | विस्थापित व्यक्ति (दावे) संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 40) |
| 6. | पश्चिम बंगाल निष्क्रांत सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) अध्यादेश, 1952 (1952 का 6)[5] | 6-10-52 | त्रिपुरा पर यथाविस्तारित, पश्चिम बंगाल निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम, 1951 में संशोधन करना। | 19-8-52 | 5-11-52 | 5-11-52 | 26-12-52 | पश्चिम बंगाल निष्क्रांत सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 75) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1952 (1952 का 7)[6] | 15-10-52 | पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1949 के निरसन का उपबंध करना। | 19-8-52 | 5-11-52 | 5-11-52 | 26-12-52 | पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1952 (1952 का 76) |
| 8. लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अध्यादेश, 1952 (1952 का 8)[7] | 29-10-52 | जनसाधारण और केंद्र सरकार के हित में, लौह और इस्पात के निर्माण और उत्पादन में परस्पर संबद्ध कतिपय कम्पनियों के समामेलन हेतु विशेष उपबंध करना। | 19-8-52 | 5-11-52 | 5-11-52 | 29-12-52 | लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 (1952 का 79) |
| 9. अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) संशोधन अध्यादेश, 1952 (1952 का 9)[8] | 29-10-52 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) अधिनियम में संशोधन करना। | 19-8-52 | 5-11-52 | 5-11-52 | 26-12-52 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 77) |
| | | **1953** | | | | | |
| 1. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का 1) | 14-10-53 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 12-12-53 | कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 37) |
| 2. पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का 2) | 22-10-53 | पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1948 में संशोधन करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 10-12-53 | पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 36) |
| 3. सागर रूढ़ि (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का 3) | 24-10-53 | सागर रूढ़ि अधिनियम, 1878 में संशोधन करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 5-12-53 | सागर रूढ़ि (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 35) |
| 4. बैंककारी कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, (1953 का 4)[9] | 24-10-53 | बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 में संशोधन करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 30-12-53 | बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) |
| 5. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का 5) | 24-10-53 | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 23-12-53 | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 43) |
| 6. धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अध्यादेश, 1953 (1953 का 6) | 26-10-53 | मिलों द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक धोतियां पैक करने पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करना। | 23-9-53 | 16-11-53 | 16-11-53 | 16-12-53 | धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 39) |
| 7. बरसी लाइट रेलवे कम्पनी (अंतरित देयताएं) अध्यादेश, 1953 (1953 का 7) | 31-12-53 | बरसी लाइट रेलवे लि॰ द्वारा केन्द्र सरकार को कतिपय भुगतान करने के लिए बाध्य करना। | 23-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | 26-3-54 | बरसी लाइट रेलवे कम्पनी (अंतरित देयताएं) अधिनियम, 1954 (1954 का 14) |
| | | **1954** | | | | | |
| 1. उत्तर प्रदेश रेल यात्री सीमा कर अध्यादेश, 1954 (1954 का 1)[10] | 4-1-54 | उत्तर प्रदेश में कतिपय रेलवे स्टेशनों से रेल द्वारा आने-जाने वाले यात्रियों पर अस्थायी अवधि के लिये सीमा कर लगाने का उपबंध करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | -शून्य- | -शून्य- |

[5 से 10]अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | उत्तर प्रदेश रेल यात्री सीमा कर (संशोधन) अध्यादेश, 1954 (1954 का 2)[11] | 12-1-54 | उत्तर प्रदेश रेल यात्री सीमा कर अध्यादेश, 1954 में संशोधन करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अध्यादेश, 1954 (1954 का 3) | 18-1-54 | विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 के अधीन लंबित कुछ कार्यवाहियों तथा उससे संबंधित विषयों के निपटान का उपबंध करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | 18-3-54 | विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12) |
| 4. | प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) संशोधन अध्यादेश, 1954 (1954 का 4) | 29-1-54 | प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) अधिनियम, 1951 में संशोधन करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | 25-3-54 | प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) संशोधन अधिनियम, 1954 (1954 का 13) |
| 5. | वायु निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1954 (1954 का 5) | 30-1-54 | वायु निगम अधिनियम, 1953 में संशोधन करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | 18-3-54 | वायु निगम (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1954 का 10) |
| 6. | निष्क्रांत निक्षेपों का अंतरण अध्यादेश, 1954 (1954 का 6) | 30-1-54 | पाकिस्तान से हुए समझौते के अनुसरण में निष्क्रांत व्यक्तियों के कतिपय निक्षेपों के उस देश में अंतरण तथा भारत के विस्थापित व्यक्तियों के निक्षेपों के इसी प्रकार अंतरण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 25-12-53 | 15-2-54 | 15-2-54 | 26-3-54 | निष्क्रांत निक्षेपों का अंतरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15) |
| 7. | औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय प्रारंभ अध्यादेश, 1954 (1954 का 7)[12] | 24-5-54 | उस अवधि के विस्तारण का उपबंध करना जिसके समाप्त होने पर अखिल भारतीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद), बम्बई के विरुद्ध दायर की हुई अपीलों पर श्रम अपील अधिकरण का निर्णय लागू होगा। | 22-5-54 | 23-8-54 | 23-8-54 | 21-10-54 | औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय अधिनियम, 1954 (1955 का 41) |
| 8. | भारतीय आय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1954 (1954 का 8) | 17-7-54 | एक निश्चित अवधि के दौरान काफी हद तक कर संदाय का अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण हेतु भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 में संशोधन करना। | 22-5-54 | 23-8-54 | 23-8-54 | 25-9-54 | भारतीय आय कर (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1954 का 33) |
| 9. | केंद्रीय उत्पाद और नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1954 (1954 का 9) | 30-7-54 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन करना। | 22-5-54 | 23-8-54 | 23-8-54 | 28-9-54 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1954 का 34) |
| | | | **1955** | | | | | |
| 1. | आवश्यक वस्तु अध्यादेश, 1955 (1955 का 1) | 21-1-55 | जन-साधारण के हित में कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, नियंत्रण, पूर्ति और वितरण तथा उनके व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण का उपबंध करना। | 24-12-54 | 21-2-55 | 21-2-55 | 1-4-55 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) चालू रखना अध्यादेश, 1955 (1955 का 2) | 30-5-55 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) अधिनियम, 1949 को और अवधि के लिए चालू रखना। | 9-5-55 | 25-7-55 | 25-7-55 | 17-9-55 | अपहृत व्यक्ति (बरामद करना और वापस करना) चालू रखना अधिनियम, 1955 (1955 का 30) |
| 3. | औद्योगिक विवाद (अपीलीय अधिकरण) संशोधन अध्यादेश, 1955 (1955 का 3)[13] | 21-6-55 | औद्योगिक विवाद (अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 9-5-55 | 25-7-55 | 25-7-55 | 12-9-55 | औद्योगिक विवाद (अपीलीय अधिकरण) संशोधन अधिनियम, 1955 (1955 का 29) |
| 4. | भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1955 (1955 का 4)[14] | 23-6-55 | भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करना। | 9-5-55 | 25-7-55 | 25-7-55 | 21-9-55 | भारतीय स्टेट बैंक संशोधन अधिनियम, 1955 (1955 का 33) |
| 5. | दिल्ली (भवन कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 (1955 का 5) | 22-10-55 | दिल्ली में भवन कार्य नियंत्रण का उपबंध करना। | 1-10-55 | 21-11-55 | 21-11-55 | 28-12-55 | दिल्ली (भवन कार्य नियंत्रण) अधिनियम, 1955 (1955 का 53) |
| 6. | बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1955 (1955 का 6) | 1-11-55 | बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करना। | 1-10-55 | 21-11-55 | 21-11-55 | 29-12-55 | बीमा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 54) |
| 7. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1955 (1955 का 7) | 30-12-55 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना और 'ग' वर्ग राज्य शासन अधिनियम, 1951 में कतिपय अनुवर्ती संशोधन करना। | 24-12-55 | 15-2-56 | 15-2-56 | 1-3-56 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) |

## 1956

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जीवन बीमा (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1956 (1956 का 1) | 19-1-56 | जीवन बीमा कार्य के राष्ट्रीयकरण होने तक, जन हित में उसके प्रबंध ग्रहण का उपबंध करना। | 24-12-55 | 15-2-56 | 15-2-56 | 21-3-56 | जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) |
| 2. | मद्रास रेलयात्री सीमा-कर अध्यादेश, 1956 (1956 का 2)[15] | 25-1-56 | मद्रास राज्य में कतिपय रेलवे स्टेशनों से रेल द्वारा अस्थायी अवधि के लिए सीमा कर लगाने का उपबंध करना। | 24-12-55 | 15-2-56 | 15-2-56 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | विक्रय-कर विधि विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1956 (1956 का 3) | 30-1-56 | अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं के विक्रय अथवा क्रय पर राज्यों के कर अधिरोपित करने, अथवा करों के अधिरोपण को प्राधिकृत करने वाले कानूनों को विधिमान्य बनाना। | 24-12-55 | 15-2-56 | 15-2-56 | 21-3-56 | विक्रय-कर विधि विधिमान्यकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 7) |
| 4. | ट्रावनकोर-कोचीन विनियोग लेखानुदान अध्यादेश, 1956 (1956 का 4)[16] | 31-3-56 | ट्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि से और में से वित्त वर्ष 1956-57 के एक भाग की सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के आहरण का उपबंध करना। | 24-12-55 | 15-2-56 | 4-4-56 | 10-5-56 | ट्रावनकोर-कोचीन विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1956 (1956 का 20) |

[11] से [15] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[16] अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब लोक सभा का सत्र चल रहा था लेकिन राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था और जब लोक सभा ने ट्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1956 पारित कर दिया था।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | हैदराबाद का स्टेट बैंक अध्यादेश, 1956 (1956 का 5) | 26-9-56 | हैदराबाद के स्टेट बैंक की शेयर पूंजी को भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानान्तरित करना और उसके उचित प्रबंधन तथा उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक विषयों का उपबंध करना। | 15-9-56 | 14-11-56 | 14-11756 | 22-12-56 | हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 (1956 का 79) |
| 6. | निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1956 (1956 का 6) [17] | 22-10-56 | निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 15-9-56 | 14-11-56 | 14-11-56 | 28-12-56 | निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 91) |
| 7. | विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश, 1956 (1956 का 7)[18] | 22-10-56 | विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में संशोधन करना। | 15-9-56 | 14-11-56 | 14-11-56 | 27-12-56 | विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन अधिनियम, 1956 (1956 का 86) |
| 8. | सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1956 (1956 का 8) [19] | 1-11-56 | सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 15-9-56 | 14-11-56 | 14-11-56 | 28-12-56 | सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 87) |
| 9. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1956 (1956 का 9)[20] | 8-11-56 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 15-9-56 | 14-11-56 | 14-11-56 | 15-12-56 | लोक प्रतिनिधित्व (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 72) |
| | | | **1957** | | | | | |
| 1. | विदेशियों विषयक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1957 (1957 का 1) | 19-1-57 | विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 में संशोधन करना। | 23-12-56 | 18-3-57 | 18-3-57 | 2-4-57 | विदेशियों विषयक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 11) |
| 2. | भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1957 (1957 का 2) | 4-3-57 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 23-12-56 | 18-3-57 | 18-3-57 | 29-3-57 | भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 7) |
| 3. | जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1957 (1957 का 3) | 20-4-57 | जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन करना। | 29-3-57 | 10-5-57 | 13-5-57 | 6-6-57 | जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 17) |
| 4. | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1957 (1957 का 4) | 27-4-57 | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करना। | 29-3-57 | 10-5-57 | 13-5-57 | 6-6-57 | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 18) |
| 5. | आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1957 (1957 का 5) [21] | 7-8-57 | कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाए रखने का उपबंध करना। | 1-6-57 | 15-7-57 | 8-8-57 | -शून्य- | -शून्य- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1957<br>(1957 का 6) | 31-10-57 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करना। | 13-9-57 | 11-11-57 | 11-11-57 | 19-12-57 | भारतीय रिजर्व बैंक (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1957<br>(1957 का 48) |

## 1958

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 1) | 22-5-58 | असम राज्य और मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बल के सदस्यों को कतिपय विशेष शक्तियां प्रदान करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 11-9-58 | सशस्त्र बल( असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958<br>(1958 का 28) |
| 2. | दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 2) | 5-6-58 | दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में संशोधन करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 3-9-58 | दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1958<br>(1958 का 26) |
| 3. | श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 3) | 14-6-58 | श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों के नियतन और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 16-9-58 | श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958<br>(1958 का 29) |
| 4. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 4) | 14-6-58 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधन करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 20-9-58 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958<br>(1958 का 34) |
| 5. | चीनी निर्यात वृद्धि अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 5) | 27-6-58 | जन हित में चीनी का निर्यात करने और कतिपय परिस्थितियों में भारत में उत्पादित चीनी पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 16-9-58 | चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958<br>(1958 का 30) |
| 6. | खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 6) | 30-6-58 | कतिपय खनिज तेलों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करना। | 12-5-58 | 11-8-58 | 11-8-58 | 4-9-58 | खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958<br>(1958 का 27) |
| 7. | हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां) विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1958<br>(1958 का 7)[22] | 21-10-58 | हिमाचल प्रदेश और विलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गठित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के गठन और उसकी कार्यवाही को विधिमान्य बनाना। | 1-10-58 | 17-11-58 | 17-11-58 | 30-12-58 | हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां)विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958<br>(1958 का 56) |

## 1959

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1959<br>(1959 का 1) | 17-1-59 | भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में संशोधन करना। | 22-12-58 | 9-2-59 | 9-2-59 | 12-3-59 | भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1959<br>(1959 का 1) |
| 2. | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अध्यादेश, 1959<br>(1959 का 2) | 20-7-59 | सार्वजनिक वक्फ की भागस्वरूप अचल सम्पत्ति के कब्जे की प्राप्ति हेतु वादों के कतिपय मामलों में परिसीमा अवधि का विस्तारण करना। | 11-5-59 | 3-8-59 | 3-8-59 | 1-9-59 | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959<br>(1959 का 29) |

[17] से [20] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[21]अध्यादेश दूसरी लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान उस समय जारी किया गया, जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था और लोक सभा ने अध्यादेश में सम्मिलित किए गए उपबंधों के साथ आवश्यक सेवा विधेयक, 1957 पारित कर दिया था। राष्ट्रपति ने 12 अगस्त, 1957 को अध्यादेश प्रतिसंहृत कर दिया।

[22]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | चीनी (विशेष उत्पाद शुल्क) अध्यादेश, 1959 (1959 का 3) | 25-10-59 | चीनी की कतिपय किस्मों पर विशेष उत्पाद शुल्क के अधिरोपण का उपबंध करना। | 15-9-59 | 16-11-59 | 16-11-59 | 24-12-59 | चीनी (विशेष उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1959 (1959 का 58) |
| | | | **1960** | | | | | |
| 1. | आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1960 (1960 का 1)[23] | 8-7-60 | कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाये रखने का उपबंध करना। | 5-5-60 | 1-8-60 | 1-8-60 | -शून्य- | -शून्य- |
| | | | **1961** | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1961 (1961 का 1) | 31-1-61 | उत्तर प्रदेश के कतिपय अधिनियमों के अधीन गन्ने पर उपकर के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्य बनाना। | 26-12-60 | 14-2-61 | 14-2-61 | 21-3-61 | उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनिमय, 1961 (1961 का 4) |
| 2. | बैंककारी कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1961 (1961 का 2) | 4-2-61 | बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 में संशोधन करना। | 26-12-60 | 14-2-61 | 14-2-61 | 24-3-61 | बैंककारी कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 7) |
| 3. | चीनी (उत्पादन विनियमन) अध्यादेश, 1961 (1961 का 3) | 29-9-61 | जनसाधारण के हित में चीनी के उत्पादन का विनियमन और फैक्ट्रियों द्वारा विनियमन के प्रयोजनार्थ निर्धारित कोटे से अधिक उत्पादित चीनी पर विशेष उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करना। | 11-9-61 | 20-11-61 | 20-11-61 | 17-12-61 | चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 55) |
| | | | **1962** | | | | | |
| 1. | अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 1) | 24-1-62 | अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना। | 12-12-61 | 12-3-62 | 12-3-62 | 30-3-62 | अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 14) |
| 2. | गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 2) | 5-3-62 | गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 12-12-61 | 12-3-62 | 12-3-62 | 27-3-62 | गोवा, दमण और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) |
| 3. | भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 3) | 20-7-62 | भूमि अर्जन अधिनियम, 1994 में और संशोधन करना और उस अधिनियम के अधीन किये गये कतिपय भूमि अर्जनों को विधिमान्य बनाना। | 23-6-62 | 6-8-62 | 6-8-62 | 12-9-62 | भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 31) |
| 4. | भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 (1962 का 4) | 26-10-62 | जन-सुरक्षा और जनहित, भारत रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कतिपय अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने के लिए विशेष उपायों का उपबंध करना। | 9-9-62 | 8-11-62 | 8-11-62 | 12-12-62 | भारत रक्षा अधिनियम, 1962 (1962 का 51) |
| 5. | विदेशियों विषयक विधि (लागू होना और संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 5) | 30-10-62 | विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 को कतिपय ऐसे व्यक्तियों पर लागू करना जिन पर वह फिलहाल लागू नहीं था और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करना। | 9-9-62 | 8-11-62 | 8-11-62 | 24-11-62 | विदेशियों विषयक विधि (लागू होना और संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 42) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 6) | 3-11-62 | भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 में संशोधन करना। | 9-9-62 | 8-11-62 | 8-11-62 | 12-12-62 | भारत रक्षा अधिनियम, 1962 (1962 का 51) |
| 7. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 7) | 3-11-62 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 9-9-62 | 8-11-62 | 8-11-62 | 28-11-62 | कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 43) |
| 8. | पाण्डिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 8) | 6-11-62 | पाण्डिचेरी के प्रशासन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 9-9-62 | 8-11-62 | 8-11-62 | 5-12-62 | पाण्डिचेरी (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 49) |

## 1963

-शून्य-

## 1964

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) चालू रखना अध्यादेश, 1964 (1964 का 1)[24] | 2-4-64 | सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को और अवधि के लिए चालू रखना। | 22-12-63 | 10-2-64 | 3-4-64 | 9-5-64 | सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) चालू रखना अधिनियम, 1964 (1964 का 9) |
| 2. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1964 (1964 का 2) | 5-7-64 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 6-6-64 | 7-9-64 | 7-9-64 | 9-10-64 | कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 32) |
| 3. | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1964 (1964 का 3) | 5-11-64 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 5-10-64 | 16-11-64 | 17-11-64 | 24-12-64 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 47) |

## 1965

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का 1) | 6-1-65 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 25-12-64 | 17-2-65 | 17-2-65 | 12-3-65 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 1) |
| 2. | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का 2) | 20-5-65 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और संशोधन करना। | 11-5-65 | 16-8-65 | 16-8-65 | 22-9-65 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 19) |
| 3. | बोनस संदाय अध्यादेश, 1965 (1965 का 3) | 29-5-65 | कतिपय प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को बोनस के संदाय और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 11-5-65 | 16-8-65 | 16-8-65 | 25-9-65 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) |
| 4. | रेल (सशस्त्र बल सदस्य नियोजन) अध्यादेश 1965 (1965 का 4)[25] | 29-9-65 | रेलवे के कार्यकरण एवं प्रबंधन में संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के नियोजन से संबंधित कतिपय उपबंध करना। | 25-9-65 | 3-11-65 | 3-11-65 | 3-12-65 | रेल (सशस्त्र बल सदस्य नियोजन) अधिनियम, 1965 (1965 का 40) |

[23]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[24]अध्यादेश 1964 में तीसरी लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान उस समय जारी किया गया जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था। इस विषय में एक विधेयक पहले 25 मार्च, 1964 को सभा पटल पर रखा गया था। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[25]इस विषय पर एक विधेयक 24 सितम्बर, 1965 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अध्यादेश, 1965 (1965 का 5) | 19-10-65 | आयकर अधिनियम, 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 में निवेश की गई अघोषित आय के कतिपय मामलों में कर से छूट का उपबंध करना। | 25-9-65 | 3-11-65 | 3-11-65 | 4-12-65 | कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1965 (1965 का 41) |
| 6. | मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1965 (1965 का 6) | 22-10-65 | राजस्थान के जावर क्षेत्र में, तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में जस्ते और सीसे के भंडारों का अधिकाधिक दोहन करने और इन खनिजों का ऐसी रीति से जनहित में उपयोग करने के लिए जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन का उपबंध करना। | 25-9-65 | 3-11-65 | 3-11-65 | 12-12-65 | मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1965 (1965 का 44) |
| 7. | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का 7) | 31-12-65 | भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और संशोधन, करना। | 13-12-65 | 14-2-66 | 15-2-66 | 19-3-66 | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 3) |
| | | | **1966** | | | | | |
| 1. | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 1) | 1-2-66 | भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और संशोधन करना। | 10-12-65 | 14-2-66 | 15-2-66 | 19-3-66 | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1966 (1966 का 3) |
| 2. | दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 2) | 5-2-66 | दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में और संशोधन करना। | 13-12-65 | 14-12-66 | 15-2-66 | 18-3-66 | दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1966 (1966 का 1) |
| 3. | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 3)[26] | 6-6-66 | वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 31-8-66 | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 21) |
| 4. | जयंती शिपिंग कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1966 (1966 का 4) | 10-6-66 | जयंती शिपिंग कम्पनी लि॰ के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिये इसके प्रबंध के अर्जन का उपबंध करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 3-9-66 | जयंती शिपिंग कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1966 (1966 का 24) |
| 5. | अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 5) | 14-6-66 | अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 3-9-66 | अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 23) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1966 (1966 का 6)[27] | 17-6-66 | व्यक्तियों तथा संघों के विधिविरुद्ध कार्यकलापों के अधिक कारगर ढंग से निवारण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | -शून्य- | -शून्य- |
| 7. | दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 7)[28] | 30-6-66 | दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 3-9-66 | दण्ड विधि संशोधन (संशोधनकारी), अधिनियम, 1966 (1966 का 22) |
| 8. | सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 8) | 7-7-66 | सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 31-8-66 | सीमा-शुल्क (संशोधन), अधिनियम, 1966 (1966 का 20) |
| 9. | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 9) | 12-7-66 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना। | 20-5-66 | 25-7-66 | 25-7-66 | 3-9-66 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 25) |
| 10. | मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 10) | 13-9-66 | राजस्थान के जावर क्षेत्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में जस्ते और सीसे के भण्डारों का अधिकाधिक दोहन करने और इन खनिजों का ऐसी रीति से जनहित में उपयोग करने के लिये, जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन का उपबंध करना। | 12-9-66 | 1-11-66 | 1-11-66 | 3-12-66 | मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) |
| 11. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 11) | 21-9-66 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 12-9-66 | 1-11-66 | 1-11-66 | 4-12-66 | कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 37) |
| 12. | खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1966 (1966 का 12) | 15-6-66 | खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 9-12-66 | 16-3-67 | 18-3-67 | 12-4-67 | खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1967 (1967 का 11) |
| 13. | आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का 13) | 23-12-66 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन)अधिनियम, 1964 को और अवधि के लिए जारी रखना। | 9-12-66 | 16-3-67 | 18-3-67 | 16-4-67 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 14) |
| | | | **1967** | | | | | |
| 1. | भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1967 (1967 का 1) | 20-1-67 | भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करना तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत भूमि के कतिपय अर्जन को विधिमान्य बनाना। | 5-12-66 | 16-3-67 | 18-3-67 | 12-4-67 | भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1967 (1967 का 13) |
| 2. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 2) | 28-2-67 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 5-12-66 | 16-3-67 | 18-3-67 | 11-4-67 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 10) |

[26]इस विषय पर राज्य सभा द्वारा पहले ही 7 अप्रैल, 1966 को पारित तथा 15 अप्रैल, 1966 को लोक सभा के पटल पर रखा गया एक विधेयक लोक सभा में विचाराधीन था। यह तीसरी लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान संशोधन के साथ पारित हुआ। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[27]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[28]इस विषय पर एक विधेयक 3 दिसम्बर, 1965 को लोक सभा (तीसरी लोक सभा के तेरहवें सत्र) में पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका था। चूंकि अध्यादेश में कतिपय ऐसे अतिरिक्त उपबंध थे जिन्हें लंबित विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया था, अत: लंबित विधेयक और अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक नया विधेयक तीसरी लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान पुर:स्थापित तथा पारित किया गया।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | भ्रष्टाचार-निरोध विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 3) | 5-5-67 | भ्रष्टाचार निरोध विधि में और संशोधन करना। | 10-4-67 | 22-5-67 | 22-5-67 | 25-6-67 | भ्रष्टाचार निरोध विधि (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 16) |
| 4. | पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 (1967 का 4) | 5-5-67 | भारत के नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान को विनियमित करने के लिये पासपोर्ट तथा यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी करने और उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक विषयों का उपबंध करना। | 10-4-67 | 22-5-67 | 22-5-67 | 24-6-67 | पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) |
| 5. | कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 5) | 14-9-67 | धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना तथा वित्त (सं॰ 2) अधिनियम, 1967 में संशोधन करना। | 16-8-67 | 13-11-67 | 14-11-67 | 15-12-67 | कराधान विधि (संशोधन)अधिनियम, 1967 (1967 का 27) |
| 6. | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 6)[29] | 16-9-67 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को और अवधि के लिये जारी रखना। | 16-8-67 | 13-11-67 | 14-11-67 | 30-12-67 | आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 36) |
| 7. | न्यायालय फीस (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 7) | 7-10-67 | संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में लागू न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में और संशोधन करना। | 16-8-67 | 13-11-67 | 14-11-67 | 16-12-67 | न्यायालय फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 28) |
| 8. | आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 8)[29] | 21-10-67 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना। | 16-8-67 | 13-11-67 | 14-11-67 | 30-12-67 | आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का 36) |
| 9. | माहे (बेदखली-कार्यवाही का स्थगन) विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का 9)[30] | 30-12-67 | माहे (बेदखली-कार्यवाही का स्थगन) विनियमन, 1963 में और संशोधन करना। | 26-12-67 | 12-2-68 | 13-2-68 | -शून्य- | -शून्य- |
| | | | **1968** | | | | | |
| 1. | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 1) | 3-2-68 | दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करना। | 26-12-67 | 12-2-68 | 13-2-68 | 23-3-68 | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 2) |
| 2. | जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अध्यादेश, 1968 (1968 का 2) | 9-2-68 | जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की अनुपूर्ति करना। | 26-12-67 | 12-2-68 | 13-2-68 | 23-3-68 | जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968 (1968 का 3) |
| 3. | अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 3)[31] | 5-6-68 | अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 16-8-68 | अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 33) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 4)[32] | 17-6-68 | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 9-8-68 | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 31) |
| 5. | सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अध्यादेश, 1968 (1968 का 5)[33] | 17-6-68 | सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 16-8-68 | सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का 32) |
| 6. | स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 (1968 का 6) | 29-6-68 | समुदाय के आर्थिक और वित्तीय हितों में स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों तथा वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण प्रदाय, वितरण, उपयोग, कब्जे और कारोबार के नियंत्रण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 1-9-68 | स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) |
| 7. | शत्रु सम्पत्ति अध्यादेश, 1968 (1968 का 7) | 6-7-68 | भारतीय रक्षा नियम, 1962 के अधीन भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति के निरंतर निहित होने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 20-8-68 | शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) |
| 8. | भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 8)[34] | 6-7-68 | भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 में और संशोधन करना। | 14-5-68 | 22-7-68 | 22-7-68 | 31-8-68 | भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 44) |
| 9. | आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1968 (1968 का 9)[35] | 13-9-68 | कतिपय आवश्यक सेवा और सामान्य जन-जीवन बनाये रखने का उपबंध करना। | 31-8-68 | 11-11-68 | 11-11-68 | 28-12-68 | आवश्यक सेवा अधिनियम, 1968 (1968 का 59) |
| 10. | भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 10) | 14-9-68 | भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करना। | 31-8-68 | 11-11-68 | 11-11-68 | 20-12-68 | भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 52) |
| 11. | पांडिचेरी नगरपालिका डिक्री (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 11)[36] | 20-10-68 | संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में नगरपालिकाओं की स्थापना से संबंधित दिनांक 12 मार्च, 1980 की फ्रेंच डिक्री में और संशोधन करना। | 31-8-68 | 11-11-68 | 11-11-68 | -शून्य- | -शून्य- |
| 12. | परिसीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का 12) | 31-12-68 | परिसीमा अधिनियम, 1963 में संशोधन करना। | 24-12-68 | 17-2-69 | 18-2-69 | 26-3-69 | परिसीमा (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 10) |
| 13. | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968 (1968 का 13) | 31-12-68 | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करना। | 24-12-68 | 17-2-69 | 18-2-69 | 26-3-69 | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 1969 (1969 का 9) |

[29]क्रमांक 6 तथा 8 पर निर्दिष्ट अध्यादेशों का स्थान उन्हीं अधिनियमों द्वारा लिया गया। दोनों अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[30]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[31]अध्यादेश की जगह प्रतिस्थापित किया जाने वाला विधेयक राज्य सभा के 65वें सत्र के दौरान 22-7-68 को पुर:स्थापित किया गया।

[32]अध्यादेश के उपबंधों से युक्त एक विधेयक लोक सभा के समक्ष पहले से ही लंबित था। विधेयक लोक सभा में 10 मई, 1968 को पुर:स्थापित किया गया था।

[33]अध्यादेश के उपबंधों से युक्त एक विधेयक राज्य सभा के समक्ष पहले से ही लंबित था। विधेयक राज्य सभा में 5 मार्च, 1968 को पुर:स्थापित किया गया था।

[34]अध्यादेश के उपबंधों के साथ-साथ विस्तृत उपबंधों से युक्त पेटेन्ट विधेयक, 1967 लोक सभा में पहले से ही लंबित था। विधेयक लोक सभा में 12 अगस्त, 1967 को पुर:स्थापित किया गया था।

[35]और [36]अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1969** | | | | | |
| 1. | सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 1)[37] | 3-1-69 | सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करना। | 24-12-68 | 17-2-69 | 18-2-69 | 28-3-69 | सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 12) |
| 2. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 2)[38] | 10-1-69 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 24-12-68 | 17-2-69 | 18-2-69 | 26-3-69 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 8) |
| 3. | भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 3)[39] | 4-6-69 | भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | 8-8-69 | भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 21) |
| 4. | केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 4) | 9-6-69 | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना तथा कतिपय अन्य संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | 30-8-69 | केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 28) |
| 5. | प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 5)[40] | 30-6-69 | प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में संशोधन करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | 29-8-69 | प्रेस परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 27) |
| 6. | स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 (1969 का 6) | 3-7-69 | स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम , 1968 में संशोधन करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | 29-8-69 | स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1969 (1969 का 26) |
| 7. | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 7)[41] | 17-7-69 | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में और संशोधन करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | -शून्य- | -शून्य- |
| 8. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1969 (1969 का 8) | 19-7-69 | राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से पोषण करने के उद्देश्य से कतिपय बैंककारी कंपनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 19-5-69 | 21-7-69 | 21-7-69 | 9-8-69 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1969 (1969 का 22) |
| 9. | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 9) | 13-11-69 | विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1947 में और संशोधन करना। | 3-9-69 | 17-11-69 | 17-11-69 | 26-12-69 | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 40) |
| 10. | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का 10)[42] | 30-12-69 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को और अवधि के लिए जारी रखना। | 27-12-69 | 20-2-70 | 20-2-70 | 31-3-70 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 14) |
| | | | **1970** | | | | | |
| 1. | हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 (1970 का 1) | 2-2-70 | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 के द्वारा गठित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर दो स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा इन स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के पारिणामिक अथवा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करना। | 27-12-69 | 20-2-70 | 20-2-70 | 2-4-70 | हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 16) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का 2)[43] | 2-2-70 | कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 में और संशोधन करना। | 27-12-69 | 20-2-70 | 20-2-70 | 31-3-70 | कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 15) |
| 3. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 (1970 का 3) | 14-2-70 | राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से पोषण करने के उद्देश्य से कतिपय बैंककारी कंपनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करना। | 27-12-69 | 20-2-70 | 20-2-70 | 31-3-70 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) |
| 4. | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का 4)[44] | 20-6-70 | दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 में और संशोधन करना। | 23-5-70 | 27-7-70 | 28-7-70 | 4-9-70 | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 35) |
| 5. | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का 5) | 20-9-70 | विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में और संशोधन करना। | 7-9-70 | 9-11-70 | 9-11-70 | 18-12-70 | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 43) |

## 1971

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 1) | 5-1-71 | हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 में संशोधन करना। | 23-12-70 | 19-3-71 | 23-3-71 | 19-4-71 | हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 15) |
| 2. | पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1970 का 2)[45] | 24-1-71 | पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1967 में संशोधन करना। | 23-12-70 | 19-3-71 | 23-3-71 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 3) | 13-2-71 | कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 23-12-70 | 19-3-71 | 23-3-71 | 23-4-71 | श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 16) |
| 4. | पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन), दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का 4)[46] | 3-5-71 | पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | -शून्य- | -शून्य- |

[37]इस अध्यादेश में सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968, जो कि 3-12-68 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, के उपबंधों के संशोधन सम्मिलित थे लंबित विधेयक 18-2-69 को वापस ले लिया गया और अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाने वाला एक नया विधेयक अर्थात् सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969 दिनांक 18-2-69 को पुरःस्थापित किया गया था। इस अध्यादेश के संबंध में लोक सभा पटल पर दो विवरण, एक नियम 7(1) के अधीन तथा दूसरा नियम 71(2) के अधीन, रखे गये थे । विधेयक चौथी लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान पारित किया गया।

[38]अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक 24 फरवरी, 1969 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया।

[39]अध्यादेश में भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक 1968, जिसे 2-12-68 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, के उपबंधों में किये गये मामूली संशोधन शामिल थे।

[40]अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक 5-8-1969 को राज्य सभा में (राज्य सभा के 69वें सत्र के दौरान) पुरःस्थापित किया गया।

टिप्पणः- 1969 के अध्यादेश 3 से 8, उप-राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए प्रख्यापित किये गये थे।

[41]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[42]अध्यादेश में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1969, जिसे 22-12-69 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और जो राज्य सभा के सत्तरवें सत्र की समाप्ति पर लंबित था, के उपबंध शामिल थे।

[43]अध्यादेश में कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1969, जिसे 24-12-69 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और जो राज्य सभा के सत्तरवें सत्र की समाप्ति पर लंबित था, के उपबन्ध शामिल थे।

[44]अध्यादेश में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970, जिसे 18-5-70 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और जो राज्य सभा के सत्तरवें सत्र की समाप्ति पर लंबित था, के उपबन्ध शामिल थे।

[45] और [46] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | आन्तरिक सुरक्षा अध्यादेश, 1971 (1971 का 5) | 7-5-71 | आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के प्रयोजनार्थ कतिपय मामलों में विरोध और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | 2-7-71 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) |
| 6. | साधारण बीमा (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1971 (1971 का 6) | 13-5-71 | साधारण बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक जन हित में उनके प्रबंध ग्रहण का उपबंध करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | 17-6-71 | साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17) |
| 7. | बंगाल वित्त (विक्रय-कर) (नियुक्तियां तथा कार्यवाही का दिल्ली विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1971 (1971 का 7) | 18-5-71 | दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941 के अंतर्गत कतिपय अधिकारियों की नियुक्तियों को विधिमान्य बनाना और ऐसे अधिकारियों द्वारा उस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई कार्यवाही को विधिमान्य बनाना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | 23-6-71 | बंगाल वित्त (विक्रय-कर) (नियुक्तियों तथा कार्यवाही का दिल्ली विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1971 (1971 का 20) |
| 8. | स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का 8) | 20-5-71 | स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में और संशोधन करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | 24-6-71 | स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 21) |
| 9. | दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबंध) अध्यादेश, 1971 (1971 का 9) | 20-5-71 | कतिपय सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा सम्पत्ति के बेहतर प्रबन्ध का उपबन्ध करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 24-5-71 | 26-6-71 | दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का 24) |
| 10. | कलकत्ता ट्रामपथ कंपनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का 10)[47] | 17-7-71 | कलकत्ता ट्रामपथ कंपनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करना। | 7-4-71 | 24-5-71 | 28-7-71 | 28-8-71 | कलकत्ता ट्रामपथ कंपनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का अधिनियम) (1971 का 6) |
| 11. | अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का 11) | 11-10-71 | अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 11-12-71 | अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 53) |
| 12. | कोककारी कोयला खान (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का 12) | 16-10-71 | कोककारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक जनहित में उनके प्रबंध ग्रहण का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 23-12-71 | कोककारी कोयला खान (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 64) |
| 13. | एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 13) | 17-10-71 | लौह तथा इस्पात उद्योग की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिफ्रेक्टरीज की सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड उपक्रम के अर्जन का उपबन्ध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 23-12-71 | एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 65) |
| 14. | जयंती शिपिंग कंपनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 14) | 17-10-71 | राष्ट्र की नौवहन (शिपिंग) संबंधी आवश्यकताओं के बेहतर पोषण तथा जनसाधारण के हित में राष्ट्रीय नौवहन (शिपिंग) के संवर्धन एवं विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से जयंती शिपिंग कंपनी लिमिटेड के शेयरों के अर्जन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 23-12-71 | जयंती शिपिंग कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 63) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश, 1971 (1971 का 15) | 22-10-71 | छोटे सिक्कों को पिघलाने अथवा नष्ट करने और इस प्रयोजनार्थ उनकी जमाखोरी रोकने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 11-12-71 | छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52) |
| 16. | स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 16) | 22-10-71 | भारतीय स्टाम्प, अधिनियम 1899, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 8-12-71 | स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 44) |
| 17. | रेल यात्री किराया अध्यादेश, 1971 (1971 का 17) | 22-10-71 | रेल किराये पर कर उद्ग्रहण का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 9-12-71 | रेल यात्री किराया अधिनियम, 1971 (1971 का 46) |
| 18. | डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 (1971 का 18) | 22-10-71 | कतिपय डाक वस्तुओं पर कर उद्ग्रहण का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 9-12-71 | डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971 (1971 का 47) |
| 19. | अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश, 1971 (1971 का 19) | 30-10-71 | अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर उद्ग्रहण का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 9-12-71 | अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48) |
| 20. | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का 20) | 1-11-71 | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 24-12-71 | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 72) |
| 21. | दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 21) | 3-11-71 | दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिये सड़क परिवहन निगम की स्थापना करने तथा इस प्रयोजनार्थ सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 24-12-71 | दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 71) |
| 22. | विश्व भारती (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 22) | 3-11-71 | विश्व भारती अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | 15-12-71 | विश्व भारती (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 57) |
| 23. | मोटर यान (अधिग्रहण और नियंत्रण) अध्यादेश, 1971 (1971 का 23)[48] | 9-11-71 | कतिपय आपातिक परिस्थितियों में मोटरयान के अधिग्रहण और उनके प्रयोग के नियंत्रण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 18-8-71 | 15-11-71 | 15-11-71 | - शून्य - | - शून्य - |
| | | | **1972** | | | | | |
| 1. | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 1) | 9-2-72 | भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम,1950 में और संशोधन करना। | 25-12-72 | 13-3-72 | 13-3-72 | 12-4-72 | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 10) |
| 2. | महाप्रशासक (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 2) | 25-2-72 | महाप्रशासक अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | 25-12-72 | 13-3-72 | 13-3-72 | 12-4-72 | महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 8) |

[47]अध्यादेश पांचवीं लोक सभा के दूसरे सत्र में जारी किया गया जब कि राज्य सभा सत्राधीन नहीं थी।

[48]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) दिल्ली संशोधन अध्यादेश, 1972 (1972 का 3) | 8-3-72 | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करना। | 25-12-71 | 13-3-72 | 13-3-72 | 12-4-72 | सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 9) |
| 4. | इंडियन कॉपर कारपोरेशन (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 4) | 10-3-72 | इंडियन कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड उपक्रम का अर्जन किये जाने तक जनहित में उसके प्रबंध-ग्रहण का उपबंध करना। | 25-12-71 | 13-3-71 | 13-3-71 | 20-4-71 | इंडियन कॉपर कारपोरेशन (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 11) |
| 5. | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 5) | 22-6-72 | दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 में और संशोधन करना। | 3-6-72 | 31-7-72 | 31-7-72 | 3-9-72 | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 48) |
| 6. | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 6) | 14-7-72 | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड उपक्रम के जनहित में तथा उपक्रम के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमित समय के लिए प्रबंध-ग्रहण का उपबंध करना। | 3-6-72 | 31-7-72 | 31-7-72 | 3-9-72 | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी प्रबंध-ग्रहण), अधिनियम 1972 (1972 का 50) |
| 7. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 7) | 15-7-72 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना तथा मूल्यांकन वर्ष 1962-63 से पूर्व के कुछ मूल्यांकन वर्षों के संबंध में कुल आय की संगणना में धन कर के रूप में संदत्त राशि की कटौती के वर्जन का उपबंध करना। | 3-6-72 | 31-7-72 | 31-7-72 | 26-8-72 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 41) |
| 8. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 8) | 23-9-72 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 6-9-72 | 13-11-72 | 13-11-72 | 19-12-72 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 68) |
| 9. | रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 91) | 31-10-72 | रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक जनहित में उनके प्रबंध-ग्रहण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 6-9-72 | 13-11-72 | 13-11-72 | 23-12-72 | रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) |
| | | | **1973** | | | | | |
| 1. | कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) | 30-1-73 | कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक जनहित में उनके प्रबंध-ग्रहण का उपबंध करना। | 28-12-72 | 19-2-73 | 20-2-73 | 31-3-73 | कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) |
| 2. | प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का 2) | 27-9-73 | प्रेस परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 7-9-73 | 12-11-73 | 12-11-73 | 14-12-73 | प्रेस परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 53) |
| 3. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का 3) | 2-11-73 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में और संशोधन करना। | 7-9-73 | 12-11-73 | 12-11-73 | 19-12-73 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 58) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. कोंकण यात्री पोत (अर्जुन) अध्यादेश, 1973 (1973 का 4) | 7-11-73 | कोंकण तटवर्ती क्षेत्र के समुद्री यात्रियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने की दृष्टि से कोंकण यात्री पोत के अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 7-9-73 | 12-11-73 | 12-11-73 | 22-12-73 | कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का 62) |

## 1974

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का 1) | 19-1-74 | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना। | 23-12-73 | 18-2-74 | 19-2-74 | 27-3-74 | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 8) |
| 2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 2) | 22-6-74 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 29-8-74 | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 30) |
| 3. प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 3) | 28-6-74 | प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | प्रेस परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 34) |
| 4. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का 4) | 28-6-74 | इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 36) |
| 5. एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का 5) | 28-6-74 | एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 में संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 33) |
| 6. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का 6) | 29-6-74 | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 32) |
| 7. कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 7) | 6-7-74 | राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में कतिपय कंपनियों के लाभों में से लाभांशों को घोषित करने के अधिकारों पर अस्थायी निर्बन्धन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1974 (1974 का 35) |
| 8. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 (1974 का 8) | 6-7-74 | राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप तथा उससे सम्बद्ध योजना की विरचना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 1-9-74 | अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) |
| 9. कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का 9) | 15-7-74 | कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 में संशोधन करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 31-8-74 | कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 35) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकरदाता) अध्यादेश, 1974 (1974 का 10) | 17-7-74 | राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में कतिपय वर्ग के आयकर-दाताओं द्वारा अनिवार्य निक्षेप और उससे सम्बद्ध योजना की विरचना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 11-5-74 | 22-7-74 | 22-7-74 | 1-9-74 | अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकरदाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) |
| 11. | आतंरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 11) | 17-9-74 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में संशोधन करना। | 10-9-74 | 11-11-74 | 11-11-74 | 13-12-74 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) |
| 12. | रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का 12) | 21-9-74 | रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के पुनर्गठन और पुनर्स्थापन की दृष्टि से जिससे उत्पादन में तेजी लाकर उचित दर की दुकानों पर विभिन्न प्रकार के कपड़े और धागे वितरित करके आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस प्रकार के रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 10-9-74 | 11-11-74 | 11-11-74 | 21-12-74 | रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) |
| 13. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 13) | 19-10-74 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 10-9-74 | 11-11-74 | 11-11-74 | 21-12-74 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 58) |
| 14. | प्रेस परिषद् (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 14) | 27-12-74 | प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 24-12-74 | 17-2-75 | 18-2-75 | 29-3-75 | प्रेस परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 12) |
| 15. | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 15) | 28-12-74 | भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और संशोधन करना। | 24-12-74 | 17-2-75 | 18-2-75 | 6-3-75 | भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 1) |
| | | | **1975** | | | | | |
| 1. | न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 1) | 7-1-75 | भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | 24-12-74 | 17-2-75 | 18-2-75 | 29-3-75 | न्यास विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 16) |
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का 2) | 20-1-75 | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 24-12-74 | 17-2-75 | 18-2-75 | 19-3-75 | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का 3) |
| 3. | वायुसेना और सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 3) | 25-1-75 | वायुसेना अधिनियम, 1950 और सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करना। | 24-12-74 | 17-2-75 | 18-2-75 | 29-3-75 | वायुसेना और सेना विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 13) |
| 4. | आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का 4)[49] | 29-6-75 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 15-5-75 | 21-7-75 | 21-7-75 | 5-8-75 | आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 39) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 5) | 30-6-75 | भारत रक्षा अधिनियम, 1971 में संशोधन करना। | 15-5-75 | 21-7-75 | 21-7-75 | 31-7-75 | भारत रक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 32) |
| 6. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 6) | 1-7-75 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में संशोधन करना। | 15-5-75 | 21-7-75 | 21-7-75 | 1-8-75 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 35) |
| 7. आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 7)[49] | 15-7-75 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में संशोधन करना। | 15-5-75 | 21-7-75 | 21-7-75 | 5-8-75 | आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 39) |
| 8. आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 8) | 9-9-75 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 22-1-76 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 1) |
| 9. निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तारण) अध्यादेश, 1975 (1975 का 9) | 9-9-75 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सिक्किम राज्य पर विस्तारण का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तारण) अधिनियम, 1976 (1976 का 10) |
| 10. भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 10) | 25-9-75 | भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 9) |
| 11. बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का 11) | 25-9-75 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 23) |
| 12. समान पारिश्रमिक (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 12) | 26-9-75 | नियोजन के मामलों में पुरुषों और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के संदाय और महिलाओं के प्रति लैंगिक आधार पर विभेद निवारण और उससे संबधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) |
| 13. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) | 26-9-75 | ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक क्रियाकलापों के विकास के प्रयोजनार्थ छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि कामगारों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को उधार और अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को शामिल करना, विनियमन करना और बन्द करना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 9-2-76 | प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) |
| 14. मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 14) | 26-9-75 | मोटर यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 26) |

[49]1975 के अध्यादेश सं॰ 4 और 7 का स्थान उसी अधिनियम द्वारा लिया गया।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का 15) | 8-10-75 | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन के लिए और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 (1976 का 18) |
| 16. | आन्तरिक सुरक्षा (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 16) | 17-10-75 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 14) |
| 17. | बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 17) | 24-10-75 | कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक और शारीरिक शोषण के निवारण की दृष्टि से बन्धित श्रम पद्धति के उत्सादन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 9-2-76 | बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) |
| 18. | भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 18) | 31-10-75 | भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 24-1-76 | भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 3) |
| 19. | आयात और निर्यात (नियंत्रण) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 19) | 4-11-75 | आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | आयात और निर्यात नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 12) |
| 20. | तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का 20) | 5-11-75 | तस्करों और विदेशी मुद्रा छल साधकों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों के समपहरण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) |
| 21. | मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 21) | 12-11-75 | मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 29) |
| 22. | आन्तरिक सुरक्षा (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 22) | 16-11-75 | आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 14) |
| 23. | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 23) | 29-11-75 | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 में संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 25-1-76 | आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 (1976 का 8) |
| 24. | दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 24) | 1-12-75 | दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 9-2-76 | दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 18) |
| 25. | संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 (1975 का 25) | 8-12-75 | संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1956 का निरसन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976 (1976 का 28) |
| 26. | प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 26) | 8-12-75 | प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का निरसन करना और उससे संबंधित कतिपय मामलों का उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | प्रेस परिषद् (निरसन) अधिनियम, 1976 (1976 का 24) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 27) | 8-12-75 | दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 में संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 9-2-76 | दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 15) |
| 28. | आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 (1975 का 28) | 8-12-75 | अपराध को बढ़ावा देने वाली और अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के विरुद्ध उपबंध करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 11-2-76 | आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का 27) |
| 29. | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 29) | 12-12-75 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करना। | 3-9-75 | 5-1-76 | 5-1-76 | 9-2-76 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 20) |

## 1976

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का 1) | 1-3-76 | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 9-2-76 | 8-3-76 | 8-3-76 | 8-4-76 | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 58) |
| 2. | संघ लेखा विभागीयकरण (कार्मिक अंतरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का 2) | 1-3-76 | केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के लेखाओं के संकलन से सम्बंधित जिम्मेदारी को मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा दक्षतापूर्ण निर्वहन सुकर बनाने के लिये, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों का ऐसे किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को अन्तरण का उपबंध करना। | 9-2-76 | 8-3-76 | 8-3-76 | 8-4-76 | संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 59) |
| 3. | कोयला खान (राष्ट्रीयकरण संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का 3)[50] | 29-4-76 | कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में और संशोधन करना। | 9-2-76 | 8-3-76 | 29-4-76 | 27-5-76 | कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 67) |
| 4. | पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 4) | 4-6-76 | पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 28-8-76 | पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 82) |
| 5. | आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 5) | 16-6-76 | आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 25-8-76 | आंतरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 78) |
| 6. | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का 6) | 16-6-76 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 2-9-76 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 90) |
| 7. | ब्रेथवेट एंड कंपनी (इण्डिया) लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का 7) | 23-6-76 | देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी (इंडिया लि॰ के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 5-9-76 | ब्रेथवेट एंड कंपनी (इण्डिया) लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 96) |

[50]अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | बर्न कंपनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का 8) | 23-6-76 | देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण माल का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न एंड कंपनी लि॰ और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी लि॰ के उपक्रमों के अर्जन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 5-9-76 | बर्न कंपनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 97) |
| 9. | श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 9) | 17-7-76 | कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धनकर अधिनियम, 1957 और आय कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 7-9-76 | श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 99) |
| 10. | इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 10) | 17-7-76 | कंपनी के कामकाज का उचित प्रबंध और देश की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण माल का निरंतर उत्पादन और विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰ के कुछ शेयरों के अर्जन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 2-9-76 | इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 89) |
| 11. | लक्ष्मीरतन एंड एथरटन वेस्ट कॉटन मिल्स (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1976 (1976 का 11) | 19-7-76 | समाज के कमजोर वर्गों तथा रक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कुछ किस्म के कपड़ों की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ कंपनियों के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक, जनहित में उनके प्रबंध ग्रहण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 5-9-76 | लक्ष्मीरतन एंड एथरटन वेस्ट कॉटन मिल्स (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 98) |
| 12. | मेटल कॉरपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबंध) अध्यादेश, 1976 (1976 का 12) | 2-8-76 | राजस्थान राज्य के जावर क्षेत्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में जस्ते और सीसे के भंडारों का अधिकाधिक विदोहन करने और इन खनिजों का ऐसी रीति से जनहित में उपयोग करने के लिये जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से मेटल कॉरपोरेशन के उपक्रम का प्रबंध, ऐसे उपक्रम का उक्त कॉरपोरेशन को पुनः अंतरित और उसमें पुनः निहित हुए समझे जाने के पश्चात् ग्रहण करने का और मेटल कॉरपोरेशन के उपक्रम के पश्चात्वर्ती अर्जन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-5-76 | 10-8-76 | 10-8-76 | 7-9-76 | मेटल कॉरपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976 (1976 का 100) |
| 13. | विद्युत (प्रदाय) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का 13) | 8-10-76 | विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करना। | 5-9-76 | 25-10-76 | 25-10-76 | 30-11-76 | विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 115) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | पूर्वी पंजाब नगर किराया निर्बन्धन (चंडीगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 14)[51] | 17-12-76 | संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में यथाप्रवृत,पूर्वी पंजाब नगर किराया निर्बन्धन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 15. | काल्टेक्स [काल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन], अध्यादेश, 1976 (1976 का 15) | 30-12-76 | काल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों के जन-हित में अर्जन और भारत में काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने का उपबन्ध करना कि भारत में, काल्टेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | 23-4-77 | काल्टेक्स [काल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977 (1977 का 17) |
| 16. | खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 16) | 31-12-76 | खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | 11-4-77 | खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 12) |

## 1977

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 1)[52] | 2-2-77 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और 1977 में संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 2. | पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1977 (1977 का 2) | 3-2-77 | पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 में संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | 18-4-77 | पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1977 (1977 का 13) |
| 3. | राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 3)[53] | 3-2-77 | राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 4. | विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977 (1977 का 4) | 3-2-77 | प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष की दशा में संसद के लिए विवादग्रस्त निर्वाचनों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | 18-4-77 | विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम, 1977 (1977 का 16) |
| 5. | संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 5)[54] | 7-2-77 | संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 6. | दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 6)[55] | 7-2-77 | दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करना। | 11-11-76 | 25-3-77 | 28-3-77 | -शून्य- | -शून्य- |

[51-53]अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[54]अध्यादेश की जगह प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक 7-4-1977 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा में लंबित था। लोक सभा के विघटित हो जाने पर विधेयक व्यपगत हो गया और फलस्वरूप अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[55]अध्यादेश की जगह प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक 7-4-1977 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा में लंबित था। अध्यादेश 21-4-1977 को राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप-राष्ट्रपति द्वारा वापस ले लिया गया।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1977 (1977 का 7)[56] | 9-5-77 | अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करना। | 12-4-77 | 11-6-77 | 11-6-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 8. | योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 8) | 24-5-77 | दो योग सोसाइटियों के उपक्रम के प्रबंध का एक सीमित अवधि के लिए जनहित में ग्रहण करने तथा उसके उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने और उससे संबंधित उथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 12-4-77 | 11-6-77 | 22-6-77 | 5-7-77 | योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1977 (1977 का 21) |
| 9. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 9) | 3-9-77 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 10-8-877 | 14-11-77 | 14-11-77 | 24-12-77 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 43) |
| 10. | बैंक सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 10)[57] | 19-9-77 | बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | -शून्य- | -शून्य- |
| 11. | शत्रु संपत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 11) | 23-9-77 | शत्रु संपति अधिनियम, 1968 में संशोधन करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 15-12-77 | शत्रु संपत्ति (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 40) |
| 12. | स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 12) | 23-9-77 | स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 24-12-77 | स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 44) |
| 13. | स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एंड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 13) | 30-9-77 | मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के उपक्रमों के अधिकार, हक और हितों के जनहित में अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 17-12-77 | स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एंड कंपनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 41) |
| 14. | ग्रेशम एंड क्रेवन ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 14) | 30-9-77 | रेलवे की और इंजीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ मै॰ ग्रेशम एंड क्रेवन ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 20-12-77 | ग्रेशम एंड क्रेवन ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 42) |
| 15. | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1977 (1977 का 15) | 13-10-77 | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 13-12-77 | इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1977 (1977 का 38) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 16) | 31-10-77 | अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 10-8-77 | 14-11-77 | 14-11-77 | 13-12-77 | अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 39) |
| | | | **1978** | | | | | |
| 1. | उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 1) | 16-1-78 | कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के जनहित में विमुद्रीकरण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 25-12-77 | 20-2-78 | 20-2-78 | 30-3-78 | उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 11) |
| 2. | दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 (1978 का 2) | 1-7-78 | दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में पुलिस के विनियमन से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन करना। | 18-5-78 | 17-7-78 | 17-7-78 | 27-8-78 | दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) |
| 3. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (1978 का 3) | 8-9-78 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 में संशोधन करना। | 2-9-78 | 20-11-78 | 20-11-78 | 30-12-78 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 48) |
| 4. | अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अध्यादेश, 1978 (1978 का 4) | 3-10-78 | कतिपय टेक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करना। | 2-9-78 | 20-11-78 | 20-11-78 | 6-12-78 | अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम 1978 (1978 का 40) |
| 5. | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) | 9-11-78 | कुछ परिस्थितियों में जनहित में कतिपय चीनी उपक्रमों के प्रबंधन के अस्थायी ग्रहण का उपबंध करना। | 2-9-78 | 20-11-78 | 20-11-78 | 30-12-78 | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) |
| 6. | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1978 (1978 का 6) | 30-12-78 | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 26-12-78 | 19-2-79 | 19-2-79 | 31-3-79 | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1979 (1979 का 17) |
| | | | **1979** | | | | | |
| 1. | पंजाब उत्पाद-शुल्क (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 1) | 20-1-79 | दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 में और संशोधन करना। | 26-12-78 | 19-2-79 | 19-2-79 | 29-3-79 | पंजाब उत्पाद-शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का 12) |
| 2. | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1979 (1979 का 2) | 31-1-79 | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 में संशोधन करना। | 26-12-78 | 19-2-79 | 19-2-79 | 31-3-79 | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 (1979 का 18) |
| 3. | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपंबध (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 3) | 31-1-79 | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना। | 26-12-78 | 19-2-79 | 19-2-79 | 19-3-79 | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपंबध (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का 6) |
| 4. | भारतीय रिजर्व बैंक (सेवाएं) अध्यादेश, 1979 (1979 का 4)[58] | 4-7-79 | जनसाधारण के हित में भारतीय रिजर्व बैंक में हड़तालों के प्रतिषेध का उपबंध करना। | 24-5-79 | 9-7-79 | 9-7-79 | – शून्य – | – शून्य – |

[56]अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक 18-6-1977 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा में लंबित था। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[57]अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक 5-12-1977 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था किन्तु 8-12-1977 को राज्य सभा इससे सहमत नहीं हुई। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[58]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1979 (1979 का 5)[59] | 4-7-79 | अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम 1974 में और संशोधन करना। | 24-5-79 | 9-7-79 | 9-7-79 | - शून्य - | - शून्य - |
| 6. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 6) | 30-8-79 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 12-2-80 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 5) |
| 7. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 7) | 1-9-79 | सिक्किम राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: समायोजन का उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 12-2-80 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) |
| 8. | संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 8) | 25-9-79 | संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 8-2-80 | संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 1) |
| 9. | कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 9)[60] | 25-9-79 | कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | - शून्य - | - शून्य - |
| 10. | चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का 10)[61] | 5-10-79 | चोरबाजारी निवारण और समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के रख-रखाव के उद्देश्य से कतिपय मामलों में निरोध तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 12-2-80 | चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) |
| 11. | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 11) | 20-10-79 | भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 12-2-80 | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 4) |
| 12. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का 12) | 24-11-79 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करना। | *20-8-79 | 21-1-80 | 23-1-80 | 12-2-80 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 6) |
| | | | **1980** | | | | | |
| 1. | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 1) | 7-3-80 | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1950 में और संशोधन करना। | 7-2-80 | 11-3-80 | 11-3-80 | 5-4-80 | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 35) |
| 2. | आवश्यक सेवा (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का 2) | 6-4-80 | असम में कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाये रखने का उपबंध करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | 19-7-80 | आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 3) | 15-4-80 | अपने आकार, संसाधनों, क्षेत्र तथा संगठन के सम्बन्ध में कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अर्थव्यवस्था की पराकाष्ठा को और अधिक नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर और बेहतर ढंग से पूरा करने तथा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में निर्धारित सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति के अनुरूप जनकल्याण के संवर्धन के उद्देश्य से अपने आकार, संसाधनों, क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए कतिपय बैंककारी कंपनियों के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | 11-7-80 | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) |
| 4. नेशनल कम्पनी लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 4) | 27-4-80 | मैसर्स नेशनल कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य जूट से निर्मित वस्तुओं का निरंतर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | 19-7-80 | नेशनल कम्पनी लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 42) |
| 5. पुलिस (द्रोह-उद्दीपन गुजरात दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 5)[62] | 1-5-80 | गुजरात राज्य में लागू करने के लिए पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 में और संशोधन करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | - शून्य - | - शून्य - |
| 6. आवश्यक सेवा (महाराष्ट्र) अध्यादेश, 1980 (1980 का 6)[63] | 12-5-80 | महाराष्ट्र में कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाये रखने का उपबंध करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | - शून्य - | - शून्य - |
| 7. गुजरात आवश्यक सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 7)[64] | 12-5-80 | गुजरात आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | - शून्य - | - शून्य - |
| 8. आवश्यक सेवा (उड़ीसा) अध्यादेश, 1980 (1980 का 8)[65] | 24-5-80 | उड़ीसा में कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाये रखने का उपबंध करना। | 28-3-80 | 9-6-80 | 9-6-80 | - शून्य - | - शून्य - |
| 9. दंड प्रक्रिया संहिता (असम) संशोधन अध्यादेश, 1980 (1980 का 9) | 5-6-80 | असम राज्य में लागू करने में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करना। | 28-3-80 | 9.6.80 | 9.6.80 | 19.7.80 | दंड प्रक्रिया संहिता (असम) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 का राष्ट्रपति अधिनियम सं॰3) |

*छठी लोक सभा के नौंवे सत्र का समापन नहीं किया गया। तथापि 20.8.79 को सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया और 22.8.79 को राष्ट्रपति ने लोक सभा भंग कर दी।

[59] और [60] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[61] अध्यादेश को 15-10-79 से लागू किया गया था।

[62] से [65] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 10) | 21-8-80 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 में और संशोधन करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 66) |
| 11. | राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का 11) | 22-9-80 | कतिपय मामलों में निवारक निरोध और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) |
| 12. | दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 12) | 23-9-80 | दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 26-12-80 | दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 63) |
| 13. | मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 13) | 13-10-80 | मोटर गाड़ी उद्योग के अधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग सुनिश्चित करने, दुर्लभ ईंधन का अधिक किफायत से उपयोग करने और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य मोटर-वाहनों का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मारुति लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) |
| 14. | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 14) | 13-10-80 | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 19-12-80 | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 60) |
| 15. | चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का 15) | 13-10-80 | चाय अधिनियम, 1953 में और संशोधन करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | चाय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 68) |
| 16. | हिन्द साइकिल्स लिमिटेड और सेन रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 16) | 15-10-80 | हिन्द साइकिल्स लिमिटेड और सेन रेले लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य साइकिलों तथा उनके घटक भाग तथा उप-साधनों का निरंतर विनिर्माण उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके जनसाधरण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | हिन्द साइकिल्स लिमिटेड और सेन रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 70) |
| 17. | वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 17) | 25-10-80 | वनों के संरक्षण और उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) |
| 18. | बर्ड एंड कम्पनी लि॰ (उपक्रमों और अन्य संपत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 18) | 25-10-80 | देश की आवश्यकता के लिये महत्वपूर्ण सामान का निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने, बर्ड एंड कंपनी लि॰ द्वारा उन कंपनियों के कार्यकरण के लिये शेयरधारी होने के कारण सुविधाएं और लाभ प्रदान करने तथा वर्गीकृत | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 27-12-80 | बर्ड एंड कंपनी लि॰ (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 67) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कम्पनियों में शेयर अर्जित करने, तथा इन कंपनियों के कार्यकरण में कुप्रबंध न होने देना सुनिश्चित करने के लिये इन विनिर्दिष्ट कंपनियों के कार्यकरण पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण करने की दृष्टि से बर्ड एंड कंपनी लि॰ के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | | | | | |
| 19. | आरोविल (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1980 (1980 का 19) | 10-11-80 | जनहित में सीमित अवधि के लिए आरोविल के प्रबंध ग्रहण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 14-8-80 | 17-11-80 | 17-11-80 | 17-12-80 | आरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) |

## 1981

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 (1981 का 1) | 12-1-81 | विशेष वाहक बंधपत्र, 1981 के धारक को कतिपय उनुमक्तियों तथा ऐसे बंधपत्रों के संबंध में प्रत्यक्ष करों में कतिपय छूट देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 26-12-80 | 16-2-81 | 16-2-81 | 27-3-81 | विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 (1981 का 7) |
| 2. | दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 2) | 21-1-81 | दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 में और संशोधन करना। | 26-12-80 | 16-2-81 | 16-2-81 | 25-3-81 | दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 6) |
| 3. | जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 3) | 31-1-81 | जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 26-12-80 | 16-2-81 | 16-2-81 | 17-3-81 | जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 1) |
| 4. | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 4) | 9-6-81 | दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 11-9-81 | दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 27) |
| 5. | ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 5) | 11-6-81 | ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के काम-काज का उचित प्रबंध और देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरंतर उत्पादन और विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से कंपनी के कतिपय शेयरों के अर्जन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 11-9-81 | ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि॰ (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1981 (1981 का 29) |
| 6. | डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1981 (1981 का 6) | 23-6-81 | डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य सीमेंट का निरंतर विनिर्माण उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 15-9-81 | डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 (1981 का 31) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) संशोधन अध्यादेश, 1981 (1981 का 7) | 17-7-81 | अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 4-9-81 | अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1981 (1981 का 23) |
| 8. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 8) | 11-7-81 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 19-9-81 | आयकर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 38) |
| 9. | सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 9) | 26-7-81 | सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 4-9-81 | सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 24) |
| 10. | आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 (1981 का 10) | 26-7-81 | कतिपय आवश्यक सेवाएं और सामान्य जन-जीवन बनाए रखने का उपबंध करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 23-9-81 | आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) |
| 11. | नागालैंड राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 11) | 26-7-81 | नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 18-9-81 | नागालैंड राज्य (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 35) |
| 12. | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य-समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का 12) | 26-7-81 | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना। | 12-5-81 | 17-8-81 | 17-8-81 | 18-9-81 | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का 36) |
| | | | **1982** | | | | | |
| 1. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 (1982 का 1) | 24-9-82 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित विधियों के संशोधन का उपबंध करना तथा ऐसी विधियों के अंतर्गत संग्रहीत उत्पाद-शुल्क को विधिमान्य बनाना। | 17-8-82 | 4-10-82 | 4-10-82 | 25-10-82 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1982 (1982 का 58) |
| | | | **1983** | | | | | |
| 1. | दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 1) | 2-1-83 | दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करना। | 9-11-82 | 18-2-83 | 22-2-83 | 31-3-83 | दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1983 **(1983 का 9)** |
| 2. | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 2) | 2-1-83 | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करना। | 9-11-82 | 18-2-83 | 22-2-83 | 31-3-83 | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1983 1983 का 8) |
| 3. | सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 3) | 22-6-83 | दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में और संशोधन करना। | 13-5-83 | 25-7-83 | 26-7-83 | 2-9-83 | सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 26) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. आयुध (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 4) | 22-6-83 | आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करना। | 13-5-83 | 25-7-83 | 26-7-83 | 2-9-83 | आयुध संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का 25) |
| 5. पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अध्यादेश, 1983 (1983 का 5) | 7-10-83 | पंजाब के विक्षुब्ध क्षेत्रों में अव्यवस्था को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था की बहाली और उसके रख-रखाव के लिए बेहतर उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 18-12-83 | पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 (1983 का 32) |
| 6. चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अध्यादेश, 1983 (1983 का 6) | 7-10-83 | चंडीगढ़ के विक्षुब्ध क्षेत्रों में अव्यवस्था को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था की बहाली और उसके रख-रखाव के लिए बेहतर उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 8-12-83 | चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 (1983 का 33) |
| 7. चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 7) | 7-10-83 | चाय अधिनियम, 1953 में और संशोधन करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 25-12-83 | चाय (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 38) |
| 8. अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) | 15-10-83 | भारत से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने हेतु इस प्रश्न का उचित रीति से अवधारण करने के लिए कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है अथवा नहीं, अधिकरणों की स्थापना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 25-12-83 | अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (1983 का 39) |
| 9. सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1983 (1983 का 9) | 15-10-83 | पंजाब और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कतिपय विशेष शक्तियां प्रदान करने का उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 8-12-83 | सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983 (1983 का 34) |
| 10. कपड़ा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 10) | 8-10-83 | कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंपनियों के कपड़ा उपक्रमों का जनहित में प्रबंध-ग्रहण और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 25-12-83 | कपड़ा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1983 (1983 का 40) |
| 11. ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 11) | 8-11-83 | ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लि॰ के उपलब्ध बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और उक्त उपक्रम द्वारा ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संबद्ध विद्युत उपस्करों को आधुनिक बनाने और उसके उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य उपर्युक्त वस्तुओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 30-8-83 | 15-11-83 | 15-11-83 | 25-12-83 | ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1983 (1983 का 41) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1984** | | | | | |
| 1. | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का 1) | 12-1-84 | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 24-12-83 | 23-2-84 | 23-2-84 | 21-3-84 | उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 (1984 का 4) |
| 2. | गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 2) | 28-1-84 | जनता को उचित कीमतों पर स्वास्थ्यप्रद वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों, पौष्टिक खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित लोक स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित इकाइयों **के केन्द्रक को स्थायी और सुदृढ़ बनाने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने संबंधी राज्य की नीति कार्यान्वित करने की दृष्टि से गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कतिपय उपक्रमों के अधिकार, हक और हितों के अर्जन और अन्तरण का उपबंध करना।** | 24-12-83 | 23-2-84 | 23-2-84 | 30-3-84 | गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 16) |
| 3. | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश, 1984 (1984 का 3) | 28-1-84 | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 24-12-83 | 23-2-84 | 23-2-84 | 16-3-84 | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) |
| 4. | इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफेक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 4) | 14-2-84 | इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफेक्चरर्स लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य टायर, ट्यूब और अन्य रबर माल का **निरंतर विनिर्माण**, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 24-12-83 | 23-2-84 | 23-2-84 | 31-3-84 | इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफेक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 17) |
| 5. | राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का 5)[66] | 5-4-84 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू करने के संबंध में संशोधित करना। | 24-12-83 | 23-2-84 | 5-4-84 | 18-5-84 | राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 24) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का 6) | 21-6-84 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करना। | 12-5-84 | 23-7-84 | 23-7-84 | 31-8-84 | राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 60) |
| 7. | हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 7) | 28-6-84 | हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के उपलब्ध बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, उक्त उपक्रमों द्वारा पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्य को आधुनिक बनाने और उसकी क्षमता में वृद्धि करने, जिससे पोत, जलयान और यान के आयात को कम किया जा सके और ग्रे-आयरन, अलौह तथा मिश्र धातु को डालकर बनी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य उक्त वस्तुओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन हो, इन उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 12-5-84 | 23-7-84 | 23-7-84 | 23-8-84 | हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55) |
| 8. | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का 8) | 13-7-84 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करना। | 12-5-84 | 23-7-84 | 23-7-84 | 30-8-84 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 58) |
| 9. | आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) | 14-7-84 | आतंकवादी क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के त्वरित विचारण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 12-5-84 | 23-7-84 | 23-7-84 | 31-8-84 | आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) |
| 10. | साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का 10) | 17-9-84 | साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 9-2-85 | साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1985 (1985 का 3) |
| 11. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 (1984 का 11) | 19-10-84 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करने और उस योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करने और उस क्षेत्र में भूमि उपयोग नियंत्रण की सामन्जस्यपूर्ण नीतियां बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये, जिससे उस क्षेत्र में अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 9-2-85 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) |
| 12. | विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का 12) | 20-10-84 | विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 31-1-85 | विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1985 (1985 का 1) |

[66]अध्यादेश उस समय जारी किया गया जबकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अध्यादेश, 1984 (1984 का 13) | 22-10-84 | कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण की नियमित व्यवस्था होने तक कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों का अस्थायी उपबंध करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 16-2-85 | कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985 (1985 का 10) |
| 14. | चीनी उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का 14) | 20-11-84 | चीनी उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 16-2-85 | चीनी उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 1985 (1985 का 11) |
| 15. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का 15) | 20-11-84 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 11-9-84 | 15-1-85 | 18-1-85 | 16-2-85 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 9) |
| | | | **1985** | | | | | |
| 1. | भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश, 1985 (1985 का 1) | 20-02-85 | यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत होने वाले या उससे संबंधित दावों के संबंध में शीघ्रता से, प्रभावी रूप से, साम्यापूर्ण रूप से और दावेदारों के सर्वोत्तम हित में कार्यवाही की जाये, और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करना। | 9-2-85 | 13-3-85 | 14-3-85 | 29-3-85 | भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) |
| 2. | स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 2) | 8-3-85 | स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में संशोधन करना। | 9-2-85 | 13-3-85 | 14-3-85 | 29-3-85 | स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 20) |
| 3. | चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1985 (1985 का 3)[67] | 8-4-85 | रुग्ण चाय यूनिटों का उचित पुनर्गठन और प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न किस्मों की चाय के उत्पादन और विनिर्माण में वृद्धि करके जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी रुग्ण चाय यूनिटों और उक्त चाय यूनिटों की बाबत चाय कम्पनियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 9-2-85 | 13-3-85 | 14-3-85 | 28-5-85 | चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 (1985 का 37) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का 4) | 5-6-85 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करना। | 28-5-85 | 23-7-85 | 23-7-85 | 29-8-85 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1985 (1985 का 46) |
| 5. | लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का 5)[68] | 8-9-85 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करना। | 30-8-85 | 18-11-85 | 18-11-85 | -शून्य- | -शून्य- |
| 6. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 6)[69] | 27-9-85 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करना। | 30-8-85 | 18-11-85 | 18-11-85 | -शून्य- | -शून्य- |
| 7. | वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 7) | 16-10-85 | वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करना। | 30-8-85 | 18-11-85 | 18-11-85 | 20-12-85 | वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 69) |
| 8. | बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 8) | 7-11-85 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करना। | 30-8-85 | 18-11-85 | 18-11-85 | 18-12-85 | बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 67) |
| | | | **1986** | | | | | |
| 1. | प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का 1) | 22-1-86 | प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करना। | 24-12-85 | 20-2-86 | 20-2-86 | 25-3-86 | प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 19) |
| 2. | रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का 2)[70] | 24-1-86 | पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषकों द्वारा रावी-व्यास प्रणाली से 1 जुलाई, 1985 की स्थिति के अनुसार दावा किए गए जल के प्रयोग की और उपभोग के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए गए जल की मात्रा के सत्यापन के लिए और उनके शेष जल में हिस्से की बाबत पंजाब और हरियाणा के दावे के न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन का उपबंध करना। | 24-12-85 | 20-2-86 | 20-2-86 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश, 1986 (1986 का 3) | 28-1-86 | ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करना। | 24-12-85 | 20-2-86 | 20-2-86 | 23-5-86 | ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 14) |
| 4. | मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का 4) | 28-1-86 | मोटर यान अधिनियम, 1939 में संशोधन करना। | 24-12-85 | 20-2-86 | 20-2-86 | 13-3-86 | मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 9) |
| 5. | स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का 5)[71] | 19-4-86 | स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लि॰ के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरंतर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, जन साधारण का हित साधन हो और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) | 24-12-85 | 20-2-86 | 23-4-86 | 30-5-86 | स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लि॰ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 (1986 का 30) |

[67] यह अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

[68 से 70] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[71] अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था। अध्यादेश के कुछ उपबंधों को 1-4-1985 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने हेतु स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लि॰ के कतिपय कपड़ा उपक्रमों के अर्जन और अंतरण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | | | | | |
| 6. | जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का 6)[72] | 14-5-86 | जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करना। | 12-5-86 | 17-7-86 | 17-7-86 | 20-8-86 | जांच आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 36) |
| 7. | कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का 7) | 7-10-86 | कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करना। | 30-8-86 | 4-11-86 | 4-11-86 | 15-12-86 | कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 57) |
| 8. | मिजोरम राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का 8)[73] | 30-12-86 | मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 में संशोधन करना। | 12-12-86 | 23-2-87 | 23-2-87 | -शून्य- | -शून्य- |
| | | | **1987** | | | | | |
| 1. | **दिल्ली नगर निगम** (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 1) | 5-2-87 | **दिल्ली नगर निगम** अधिनियम, 1957 में संशोधन करना। | 12-12-86 | 23-2-87 | 23-2-87 | 29-3-87 | **दिल्ली नगर निगम** (संशोधन) अधिनियम 1987 (1987 का 8) |
| 2. | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण)अध्यादेश, 1987 (1987 का 2)[74] | 23-5-87 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उनसे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करना। | 12-12-86 | 23-2-87 | 29-7-87 | 3-9-87 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) |
| 3. | राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अध्यादेश, 1987 (1987 का 3)[75] | 9-6-87 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू करने के संबंध में संशोधित करना। | 12-12-86 | 23-2-87 | 29-7-87 | 31-8-87 | राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अधिनियम, 1987 (1987 का 27) |
| 4.. | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी, निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 4)[76] | 2-7-87 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी, निवारण अधिनियम, 1974 में संशोधन करना। | 3-9-86 | 23-2-87 | 27-7-87 | 27-8-87 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी, निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 23) |
| 5. | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 5) | 19-9-87 | मेघालय राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करना। | 3-9-87 | 6-11-87 | 6-11-87 | 9-12-87 | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 43) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 6) | 19-9-87 | वित्त अधिनियम, 1987 में संशोधन करना। | 3-9-87 | 6-11-87 | 6-11-87 | 16-12-87 | वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 46) |
| 7. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 7) | 22-9-87 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 3-9-87 | 6-11-87 | 6-11-87 | 27-11-87 | लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 44) |
| 8. आरोविल (आपात उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1987 (1987 का 8) | 28-10-87 | आरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 में संशोधन करना। | 3-9-87 | 6-11-87 | 6-11-87 | 11-12-87 | आरोविल (आपात उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1987 (1987 का 44) |
| 9. दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 9)[77] | 24-12-87 | दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन करना। | 18-12-87 | 22-2-88 | 23-2-88 | -शून्य- | -शून्य- |
| 10. दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का 10)[78] | 24-12-87 | दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करना। | 18-12-87 | 22-2-88 | 23-2-88 | -शून्य- | -शून्य- |

## 1988

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. महापत्तन न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (1988 का 1) | 28-1-88 | महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में संशोधन करना। | 18-12-87 | 22-2-88 | 23-2-88 | 29-3-88 | महापत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 12) |
| 2. बेनामी संव्यवहार (संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध) अध्यादेश, 1988 (1988 का 2) | 19-5-88 | बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार और उससे संबंधित विषयों का प्रतिषेध करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 5-9-88 | बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) |
| 3. धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अध्यादेश, 1988 (1988 का 3) | 26-5-88 | राजनीतिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग का निवारण करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 1-9-88 | धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) |
| 4. राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (1988 का 4) | 26-5-88 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र मे लागू करने के संबंध में संशोधित करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 1-9-88 | राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 43) |
| 5. आयुध (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (1988 का 5) | 27-5-88 | आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 1-9-88 | आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 42) |

[72]अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

[73]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[74] से [78] अध्यादेश उस समय जारी किये गये थे जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अवधारण) अध्यादेश, 1988 (1988 का 6) | 2-7-88 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 3-9-88 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अवधारण) अधिनियम,1988 (1988 का 44) |
| 7. | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 (1988 का 7) | 4-7-88 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के निवारण और ऐसी औषधि तथा पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के प्रयोजनार्थ कतिपय मामलों में निरोध और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 18-5-88 | 27-7-88 | 27-7-88 | 6-9-88 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) |
| | | | **1989** | | | | | |
| 1. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का 1) | 24-1-89 | आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करना। | 5-1-89 | 21-2-89 | 21-2-89 | 1-4-89 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 11) |
| 2. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का 2) | 21-10-89 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1950 में संशोधन करना। | 20-10-89 | 18-12-89 | 20-12-89 | 6-1-90 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 2) |
| | | | **1990** | | | | | |
| 1. | दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 1) | 19-2-90 | जांच एजेंसियों को विदेशों से साक्ष्य प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना। | 6-1-90 | 12-3-90 | 12-3-90 | 20-4-90 | दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 10) |
| 2. | भारतीय विश्व मामले परिषद अध्यादेश, 1990 (1990 का 2)[79] | 30-6-90 | भारतीय विश्व कार्य परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना। | 8-6-90 | 7-8-90 | 7-8-90 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 (1990 का 3) | 5-7-90 | विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कतिपय विशेष शक्तियां प्रदान करना। | 8-6-90 | 7-8-90 | 7-8-90 | 10-9-90 | सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 (1990 का 21) |
| 4. | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 4) | 30-7-90 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करना। | 8-6-90 | 7-8-90 | 7-8-90 | 13-9-90 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 26) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन), अध्यादेश, 1990 (1990 का 5) | 30-7-90 | 1974 के अधिनियम के अन्तर्गत निवारक निरोध की अवधि का विस्तार करना। | 8-6-90 | 7-8-90 | 7-8-90 | 13-9-90 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 27) |
| 6. वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 6)[80] | 15-10-90 | आयकार पर अधिभार में वृद्धि का उपबंध करना। | 11-10-90 | 7-11-90 | 7-11-90 | -शून्य- | -शून्य- |
| 7. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश 1990 (1990 का 7)[81] | 15-10-90 | विदेशी मुद्रा भण्डारों की वास्तविक स्थिति को दर्शाने का उपबंध करना। | 11-10-90 | 7-11-90 | 7-11-90 | 25-1-91 | भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 8) |
| 8. वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 8) | 15-10-90 | आयकर पर अधिभार में वृद्धि का उपबंध करना। | 11-10-90 | 7-11-90 | 7-11-90 | 14-3-91 | वित्त अधिनियम, 1991 (1991 का 8) |
| 9. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र-अर्जन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 9) | 19-10-90 | राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद क्षेत्र के अर्जन का उपबंध करना। | 11-10-90 | 7-11-90 | 7-11-90 | -शून्य- | -शून्य- |
| 10. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र-अर्जन), प्रत्याहरण अध्यादेश 1990 (1990 का 10) | 23-10-90 | राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र-अर्जन) अध्यादेश और उससे संबंधित विषयों का प्रत्याहरण करना। | 11-10-90 | 7-11-90 | 7-11-90 | -शून्य- | -शून्य- |
| **1991** | | | | | | | |
| 1. दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 1) | 30-3-91 | संपत्ति के मूल्यांकन में संशोधन से प्रभावित व्यक्तियों को सूचना जारी करने हेतु अवधि के विस्तारण का उपबंध करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 14-8-91 | दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 32) |
| 2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 2) | 14-8-91 | जम्मू और कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का ध्यान में रखे बिना दसवीं लोक सभा का गठन करने हेतु चुनाव आयोग को सक्षम बनाना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 14-8-91 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 31) |
| 3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 3) | 19-4-91 | संविधान आदेश में कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर के कतिपय जनजातीय समुदायों को जोड़ने का उपबंध करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 20-8-91 | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 36) |
| 4. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 4) | 2-5-91 | राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त लोक सेवकों के लिए और पर्याप्त सुरक्षा तथा संरक्षण का उपबंध करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 19-9-91 | दंड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 43) |

[79]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[80]क्रमांक 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[81]अध्यादेश में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1991, जिसे राज्य सभा में 6-9-90 को पुर:स्थापित किया गया था और जो राज्य सभा के 155वें सत्र की समाप्ति पर लंबित था, के उपबंध शामिल थे।

*नौवीं लोक सभा के सातवें सत्र का समापन नहीं किया गया तथापि 12.3.91 को सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और 13.3.91 को राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा भंग कर दी गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम,1991 (1991 का 5) | 2-5-91 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 का दो वर्षों की अवधि के लिए और विस्तारण करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 16-8-91 | आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1991 (1991 का 35) |
| 6. | उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 6) | 15-6-91 | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 11-7-91 | 16-8-91 | उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 34) |
| 7. | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 7)[82] | 20-8-91 | संविधान आदेश में कर्नाटक के कतिपय जनजातीय समुदायों को शामिल करने का उपबंध करना। | *12-3-91 | 9-7-91 | 26-8-91 | 17-9-91 | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 39) |
| 8. | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 8) | 27-9-91 | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 26-9-91 | 20-11-91 | 20-11-91 | 28-12-91 | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 58) |
| 9. | प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का 9) | 28-12-91 | प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के उपबंधों में और संशोधन करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 3-4-92 | प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 13) |
| | | | **1992** | | | | | |
| 1. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 1) | 4-1-92 | चुनाव के पूर्व प्रत्याशी की मृत्यु के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 प्रतिस्थापित करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 26-3-92 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 2) |
| 2. | लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 2)[83] | 19-1-92 | चुनाव प्रचार की अवधि को घटाकर 14 दिन करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 में संशोधन करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 3. | भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 3) | 23-1-92 | प्रबंध निकाय इत्यादि की संरचना के संबंध में अधिनियम में संशोधन करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 4-4-92 | भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 14) |
| 4. | नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) 1992 अध्यादेश, (1992 का 4) | 25-1-92 | अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार को कार्यान्वयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, धूमन/विसंक्रमण प्रभार इत्यादि के उद्ग्रहण हेतु सशक्त करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 31-3-92 | नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992 (1992 का 12) |
| 5. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 (1992 का 5) | 31-1-92 | प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने इत्यादि के लिए बोर्ड की स्थापना का उपबंध करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 4-4-92 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) |
| 6. | लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 6) | 31-1-92 | खतरनाक रसायनों की रख-रखाव के दौरान हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं में पीड़ित आम व्यक्ति को तत्काल राहत पंहुचाने का उपबंध करना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 31-3-92 | लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 11) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का 7) | 15-2-92 | कतिपय राज्य विधियों के तहत खनिजों पर उपकर तथा कतिपय अन्य करों के अधिरोपण और संग्रहण और विधिमान्य बनाना। | 23-12-91 | 24-2-92 | 24-2-92 | 4-4-92 | खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992 (1992 का 16) |
| 8. विदेशी मुद्रा संरक्षक (यात्रा) उत्सादन अध्यादेश, 1992 (1992 का 8) | 29-5-92 | विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर का उत्सादन। | 25-5-92 | 8-7-92 | 8-7-92 | 18-8-92 | विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर अधिनियम, 1992 (1992 का 28) |
| 9. पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का 9) | 29-5-92 | पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का निरसन। | 25-5-92 | 8-7-92 | 8-7-92 | 18-8-92 | पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1992 (1992 का 26) |
| 10. विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 (1992 का 10) | 6-6-92 | प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना का उपबंध करना। | 25-5-92 | 8-7-92 | 8-7-92 | 18-8-92 | विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) |
| 11. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन, अध्यादेश, 1992 (1992 का 11) | 19-6-92 | आयात और निर्यात को सुकर बना कर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन का उपबंध करना और आयात का भी निरसन करना। | 25-5-92 | 8-7-92 | 8-7-92 | 7-8-92 | विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) |
| 12. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1992 (1992 का 12)[84] | 27-8-92 | आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 का विस्तारण और अधिनियम में संशोधन करके विशेष उपबंध भी करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 13. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 13)[85] | 27-8-92 | नये आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना करने और पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि के लिए पूर्व अनुमति का उपबंध करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 14. दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 14)[86] | 27-8-92 | नये दन्त चिकित्सा कालेज की स्थापना करने और पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि के लिए पूर्व अनुमति का उपबंध करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 15. लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अध्यादेश, 1992 (1992 का 15)[87] | 23-9-92 | लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज के भुगतान का उपबंध और विनियमन करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |

[82]अध्यादेश में लोक सभा द्वारा 14-8-91 को पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबंध शामिल है।

[83]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[84 से 87] अध्यादेशों को 2-1-93 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

*नौंवी लोक सभा के सातवें सत्र का समापन नहीं किया गया तथापि 12.3.91 को सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और 13.3.91 को राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा भंग कर दी गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 16)[88] | 24-9-92 | दिल्ली के लिए मास्टर प्लान के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि अथवा भवन के उपयोग पर रोक लगाना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 17. | औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 17)[89] | 1-10-92 | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित और पंजीकृत की जाने वाली कम्पनी को अंतरित और इसमें निहित करने का उपबंध करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 18. | माल बहुविध परिवहन अध्यादेश, 1992 (1992 का 18)[90] | 16-10-92 | हुविध परिवहन संविदा के आधार पर भारत से विदेश में किसी भी जगह पर माल बहुविध परिवहन के विनियमन का उपबंध करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 19. | राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 19)[91] | 23-10-92 | 1956 के अधिनियम के कार्यान्वयन में सक्षम आने वाली समस्याओं से निपटना और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | 31-12-92 | राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 1) |
| 20. | वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1992 (1992 का 20)[92] | 23-10-92 | चिड़ियाघरों को मान्यता के लिए आवेदन करने हेतु समुचित समय प्रदान करना। | 25-8-92 | 24-11-92 | 24-11-92 | -शून्य- | -शून्य- |
| 21. | राजस्थान नगर पालिकाएं (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 21)[93] | 28-12-92 | राजस्थान सरकार को नगर पालिका बोर्ड के चुनाव को स्थगित करने और विभिन्न नगर पालिकाओं में नियुक्त प्रशासकों की पदावधि बढ़ाने के लिए समर्थ बनाना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | -शून्य- | -शून्य- |
| | | | **1993** | | | | | |
| 1. | आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन, अध्यादेश, 1993 (1993 का 1) | 2-1-93 | अधिनियम के विशेष उपबंधों का 5 वर्ष की और आगे अवधि के लिए विस्तार करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | -शून्य- | आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1993 (1993 का 34) |
| 2. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 2)[94] | 2-1-93 | नए चिकित्सा कॉलेज की स्थापना अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम आदि शुरू करने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिनियम में उपबंध अंतर्विष्ट करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | -शून्य- | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 31) |
| 3. | दंत चिकित्सक (संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 3)[95] | 2-1-93 | नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों आदि को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु अधिनियम में उपबंध अंतर्विष्ट करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 30) |
| 4. | लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अध्यादेश, 1993 (1993 का 4)[96] | 2-1-93 | लघु और आनुषंगिक उपक्रमों को बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए अनिवार्य उपबंध और क्रेताओं द्वारा तत्परता से भुगतान सुनिश्चित करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 3-4-93 | लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित पर संदाय ब्याज अधिनियम, 1993 (1993 का 32) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 5) | 2-1-93 | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत की जाने वाली कम्पनी में अंतरित तथा इसमें निहित करने का उपबंध करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 23) |
| 6. माल बहुविध परिवहन अध्यादेश, 1993 (1993 का 6)[97] | 2-1-93 | भारत में किसी भी स्थान से माल बहुविध परिवहन के विनियमन का उपबंध करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28) |
| 7. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 7) | 2-1-93 | केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन निजी चिड़ियाघरों के पंजीकरण की अवधि का विस्तारण करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1993 (1993 का 26) |
| 8. अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, अध्यादेश, 1993 (1993 का 8) | 7-1-93 | परिसर की स्थापना हेतु अयोध्या में कतिपय क्षेत्र के अर्जन का उपबंध करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 3-4-93 | अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अर्जन अधिनियम, 1993 (1993 का 33) |
| 9. विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 9) | 8-1-93 | विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के कतिपय उपबंधों में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 29) |
| 10. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश 1993 (1993 का 10)[98] | 8-1-93 | नेशनल पावर ग्रिड के विकास के उद्देश्य से तीनों कंपनियों और भारत के विभिन्न भागों में अवस्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों से संबंद्ध कंपनियों के अधिकार, हक तथा हितों के अर्जन और अंतरण का उपबंध करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि॰, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि॰ और नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि॰ (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1993 (1993 का 24) |

[88]अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक लोक सभा में 30-11-93 को पुर:स्थापित किया गया लेकिन यह दसवीं लोक सभा के 16वें सत्र की समाप्ति तक लंबित रहा। अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[89] और [90] अध्यादेशों को 2-1-93 को पुन: प्रख्यापित किया गया।

[91]अध्यादेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1992 जो लोक सभा में 27-2-92 को पुर:स्थापित किया गया था और दसवीं लोक सभा के तीसरे सत्र की समाप्ति तक लंबित रहा, के उपबंध शामिल हैं।

[92]अध्यादेश 2-1-93 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

[93]अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई।

[94] और [95] अध्यादेश में क्रमश: भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1992 और दंत चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1992, जो राज्य सभा में 28-11-92 को पुर:स्थापित किए गए थे और 165वें सत्र की समाप्ति तक लंबित रहे, के उपबंध शामिल थे।

[96] और [97] अध्यादेशों में क्रमश: लोक सभा और राज्य सभा में 30-11-92 को पुर:स्थापित विधेयकों, जो दोनों सभाओं के क्रमश: चौथे और एक सौ पैंसठवें सत्रों की समाप्ति तक लंबित रहे, के उपबंध शामिल थे।

[98]अध्यादेश में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि॰, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि॰ और नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि॰ (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) विधेयक 1992, जिसे लोक सभा में 30-11-92 को पुर:स्थापित किया गया था और दसवीं लोक सभा के पांचवें सत्र की समाप्ति तक लंबित रहा, के उपबंध शामिल थे।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 11)[99] | 16-1-93 | उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि॰, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लि॰ और नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि॰ (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1993 (1993 का 24) |
| 12. | उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 12)[100] | 16-1-93 | उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 13. | उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1993 (1993 का 13)[101] | 16-1-93 | उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन आयोग अधिनियम, 1988 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 14. | मोटरयान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 14)[102] | 16-1-93 | मोटरयान अधिनियम, 1988 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के संबंध में संशोधित करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 15. | हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 15)[103] | 25-1-93 | हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 16. | हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटलों और यात्री भवनों में) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 16)[104] | 25-1-93 | हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटलों और यात्री भवनों में) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 17. | मध्य प्रदेश लाटरी प्रतिबंध अधिनियम, 1993 (1993 का 17)[105] | 25-1-93 | मध्य प्रदेश में सभी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 18. | मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 18)[106] | 25-1-93 | मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 और मध्य प्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | -शून्य- |
| 19. | तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 19) | 30-1-93 | खनिज तेलों पर रायल्टी की दर बढ़ाने के लिए सरकार को समर्थ बनाना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 30-3-93 | तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन अधिनियम, 1993 (1993 का 4) |
| 20. | मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 20)[107] | 30-1-93 | मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | -शून्य- | -शून्य- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 21) | 30-1-93 | दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 17-9-93 | दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 67) |
| 22. | स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 (1993 का 22) | 31-1-93 | सरकारी भंडारों की अनुपूर्ति के लिए आम नागरिकों के निष्क्रिय पड़े स्वर्ण संसाधनों को जुटाना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1993 (1993 का 25) |
| 23. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 1993 (1993 का 23) | 1-2-93 | पिछड़ों की सूची में शामिल करने हेतु जांच करने/सिफारिश करने के लिए एक निकाय बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुपालन करना। | 24-12-92 | 22-2-93 | 23-2-93 | 2-4-93 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) |
| 24. | उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1993 (1993 का 24)[108] | 18-6-93 | शिकायत निवारण एजेंसियों को अधिक शक्तियां सौंपना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 27-8-93 | उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 50) |
| 25. | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 25) | 24-6-93 | बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शोध्य ऋणों के शीघ्र न्याय/निर्णयन और वसूली के लिए अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 27-8-93 | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अध्यादेश, 1993 (1993 का 51) |
| 26. | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 26) | 25-6-93 | निरोध संबंधी धाराओं के संबंध में कोफेपोसा अधिनियम को जारी रखने का उपबंध करना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 27-8-93 | विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 52) |
| 27. | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 27) | 30-6-93 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 27-8-93 | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 53) |
| 28. | तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 28) | 2-7-93 | तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उपक्रम को तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि॰ में अंतरित तथा इसमें निहित करने का उपबंध करना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 4-9-93 | तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65) |
| 29. | संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 29) | 19-7-93 | योजना आयोग के उपाध्यक्ष पदधारक को निरर्हता से मुक्त रखना। | 18-5-93 | 26-7-93 | 26-7-93 | 27-8-93 | संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 1993 (1993 का 54) |
| 30. | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 का 30) | 28-9-93 | राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार न्यायालयों के गठन का उपबंध करना। | 23-9-93 | 2-12-93 | 6-12-93 | 8-1-94 | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का 10) |

[99] से [107] अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

[108] अध्यादेश में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1993 जिसे राज्य सभा में 31-3-93 को पुर:स्थापित किया गया था और राज्य सभा के 166वें सत्र की समाप्ति तक लम्बित था, के उपबंध शामिल हैं।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अध्यादेश, 1993 (1993 का 31) | 29-9-93 | मद्रास के कला क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना। | 23-9-93 | 2-12-93 | 6-12-93 | 4-1-94 | कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1994 (1994 का 6) |
| 32. | मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का 32) | 1-10-93 | निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समतुल्य करना। | 23-9-93 | 2-12-93 | 6-12-93 | 4-1-94 | मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का 4) |
| 33. | भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 33) | 15-10-93 | बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रावधान करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करना। | 23-9-93 | 2-12-93 | 6-12-93 | 4-1-94 | भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 3) |
| 34. | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 34) | 27-10-93 | राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना। | 23-9-93 | 2-12-93 | 6-12-93 | 17-12-93 | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 68) |
| | | | **1994** | | | | | |
| 1. | कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 1) | 14-1-94 | कॉफी की खुली बिक्री के कोटे का उपबंध करना और अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क को उत्सादित करना। | 7-1-94 | 21-2-94 | 21-2-94 | 28-3-94 | कॉफी (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का 23) |
| 2. | खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का 2) | 25-1-94 | राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करने, खनन पट्टों की अवधि में अधिक स्थायित्व लाने और घरेलू तथा विदेशी पूंजी प्रवाह में तीव्रता लाने हेतु 1957 के अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन करना। | 7-1-94 | 21-2-94 | 21-2-94 | 28-3-94 | खान और खनिज (विनियमन और विकास) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का 25) |
| 3. | विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का 3) | 25-1-94 | विशेष न्यायालय को सी॰पी॰सी॰, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन करने हेतु बाध्य न करना और साथ ही इसे आदेशों की अवहेलना करने पर दंड देने के अधिकार के लिए विशेष उपबंध करना। | 7-1-94 | 21-2-94 | 21-2-94 | 28-3-94 | विशेष न्यायालय (प्रति-भूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का 24) |
| 4. | वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 4)[109] | 29-1-94 | इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया उपक्रमों को गठित की गई और पंजीकृत कंपनियों में अंतरित तथा इसमें निहित करने और वायु निगम अधिनियम के निरसन का उपबंध करना। | 7-1-94 | 21-2-94 | 21-2-94 | 21-3-94 | वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994 (1994 का 13) |
| 5. | बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 5) | 31-1-94 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1994 में और संशोधन करना। | 7-1-94 | 21-2-94 | 21-2-94 | 22-3-94 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1994 (1994 का 20) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का 6) | 24-5-94 | स्थानीय स्व-शासन के ढांचे को सुदृढ़ करना और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नगरपालिकाओं से संबंधित कानून का प्रावधान करना। | 23-5-94 | 13-6-94 | 13-6-94 | 8-7-94 | मणिपुर नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 43) |
| 7. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का 7) | 24-5-94 | संविधान के अंतर्गत यथाआवश्यक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में पहले नगर निगम की स्थापना का उपबंध करना। | 23-5-94 | 13-6-94 | 13-6-94 | 22-7-94 | पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 45) |
| 8. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश, 1994 (1994 का 8) | 25-5-94 | पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के स्थान पर नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय स्व-शासन हेतु नये कानून का उपबंध करना। | 23-5-94 | 13-6-94 | 13-6-94 | 14-7-94 | नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) |
| 9. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 (1944 का 9)[110] | 29-9-94 | देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन के विनियमन का उपबंध करना। | 5-9-94 | 7-12-94 | 7-12-94 | -शून्य- | -शून्य- |
| 10. भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 10) | 10-10-94 | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर होने वाले व्यय को चुकाने हेतु समग्र निधि में 790 करोड़ रुपए की वृद्धि करना। | 5-9-94 | 7-12-94 | 7-12-94 | 7-1-95 | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1995 का 1) |
| 11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 11)[111] | 12-10-94 | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता, परिचालन संबंधी नम्यता और तेजी से बदलती हुई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षमता प्रदान करने हेतु पुनर्गठन करना। | 5-9-94 | 7-12-94 | 7-12-94 | -शून्य- | -शून्य- |
| 12. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 12)[112] | 16-11-94 | पूर्व प्रधान मंत्रियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए अगले पांच वर्ष तक विशेष संरक्षा ग्रुप के उपयुक्त सुरक्षा कवर का उपबंध करना। | 5-9-94 | 7-12-94 | 7-12-94 | -शून्य- | -शून्य- |
| 13. पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 13)[113] | 31-12-94 | विश्व व्यापार संगठन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करना। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | -शून्य- | -शून्य- |
| 14. सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का 14)[114] | 31-12-94 | सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करना। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | -शून्य- | -शून्य- |

[109]अध्यादेश में जो लोक सभा में 5-9-1992 को पुर:स्थापित किया गया था, वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1992 में अंतर्विष्ट उपबंध शामिल हैं।

[110]अध्यादेश में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1993, जिसे राज्य सभा में 3-8-93 को पुर:स्थापित किया गया था, की विषय-वस्तु शामिल है। अध्यादेश 17-1-95 को पुन: प्रख्यापित किया गया।

[111]अध्यादेश 13-1-95 को पुन: प्रख्यापित किया गया।

[112]अध्यादेश 10-1-95 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

[113-114]अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1995** | | | | | |
| 1. | विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश (1995 का 1)[115] | 10-1-95 | | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | 6-3-95 | विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 4) |
| 2. | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 2)[116] | 13-1-95 | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करना। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | 25-3-95 | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 5) |
| 3. | केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 3) | 17-1-95 | देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करना। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | 25-3-95 | केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) |
| 4. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का 4) | 21-1-95 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 के उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना ताकि इन अधिनियमों के अंतर्गत गठित नए बैंक अपने तुलन-पत्रों को तैयार कर सकें। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | 25-3-95 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 8) |
| 5. | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 5) | 25-1-95 | पूंजी निर्गम और प्रतिभूति अंतरण से संबंधित विषयों में प्रतिभूति नियंत्रण (विनियमन) अधिनियम, 1956 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करना। | 27-12-94 | 13-2-95 | 13-2-95 | 25-3-95 | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) |
| 6. | टेक्सटाइल उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश 1995 (1995 का 6)[117] | 27-6-95 | कपड़ा उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण तथा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों के संबंध में उनके स्वामियों के अधिकार, हक एवं हितों का उपबंध करना ताकि कपड़े के उत्पादन एवं वितरण में वृद्धि के द्वारा आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके। | 15-6-95 | 31-7-95 | 31-7-95 | -शून्य- | -शून्य- |
| 7. | रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का 7)[118] | 27-6-95 | राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बेहतर प्रबंधन, आधुनिकीकरण, पुनर्गठन आदि के लिए किसी उपक्रम की आस्तियों के अंतरण का उपबंध करना। | 15-6-95 | 31-7-95 | 31-7-95 | -शून्य- | -शून्य- |
| 8. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 8)[119] | 9-7-95 | बोनस संदाय के लिए पात्रता-सीमा में वृद्धि करना। | 15-6-95 | 31-7-95 | 31-7-95 | -शून्य- | -शून्य- |
| 9. | संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का 9)[120] | 18-7-95 | दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए 1979 के अधिनियम में संशोधन करना। | 15-6-95 | 31-7-95 | 31-7-95 | -शून्य- | -शून्य- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अध्यादेश, 1995 (1995 का 10) | 18-7-95 | दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए 1957 के अधिनियम में संशोधन करना। | 15-6-95 | 31-7-95 | 31-7-95 | 22-8-95 | अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 32) | |
| 11. निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 (1995 का 11)[121] | 20-9-95 | प्रतिभूतियों के सुचारू और निर्बाध अंतरण हेतु मार्ग प्रशस्त करना। | 6-9-95 | 27-11-95 | 28-11-95 | -शून्य- | -शून्य- | |
| 12. *औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 12) | 11-10-95 | कतिपय प्रतिष्ठानों में औद्योगिक विवाद को निपटाने में एकरूपता सुनिश्चित करना। | 6-9-95 | 27-11-95 | 28-11-95 | -शून्य- | -शून्य- | |
| 13. *कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 13) | 17-10-95 | भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का उपबंध करना। | 6-9-95 | 27-11-95 | 28-11-95 | -शून्य- | -शून्य- | |
| 14. *भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 14) | 3-11-95 | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याण उपायों का उपबंध करने और उनकी निगरानी करने के लिए प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड गठित करना। | 6-9-95 | 27-11-95 | 28-11-95 | -शून्य- | -शून्य- | |
| 15. *भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995 (1995 का 15) | 3-11-95 | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि के लिए नियोक्ताओं द्वारा की गई निर्माण लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करना। | 6-9-95 | 27-11-95 | 28-11-95 | -शून्य- | -शून्य- | |
| **1996** | | | | | | | | |
| 1. **औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 1) | 5-1-96 | | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | -शून्य- | -शून्य- | |

[115]इस पुन:प्रख्यापित अध्यादेश में विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994, जो लोक सभा में 9-12-94 को पुर:स्थापित किया गया और दसवीं लोक सभा के 12वें सत्र की समाप्ति तक लम्बित था, में अंतर्विष्ट उपबंध शामिल हैं।

[116]इस पुन:प्रख्यापित अध्यादेश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994, जिसे लोक सभा द्वारा 19-12-1994 को पारित किया गया था, में अंतर्विष्ट उपबन्ध शामिल हैं। राज्य सभा में यह विधेयक संशोधनों सहित 20-3-95 को पारित किया गया जिस पर लोक सभा द्वारा 22-3-95 को स्वीकृति दी गई।

[117]अध्यादेश में कपड़ा विधेयक (संशोधन), 1995, जो लोक सभा में 2-6-95 को पुर:स्थापित किया गया और दसवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र की समाप्ति तक लंबित था, में अंतर्विष्ट उपबंध शामिल थे।

[118]अध्यादेश में रुग्ण कपड़ा उपक्रम (संशोधन) विधेयक, 1995 जो लोक सभा में 2-6-95 को पुर:स्थापित किया गया और दसवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र की समाप्ति तक लंबित था, में अंतर्विष्ट उपबन्ध शामिल थे।

[119]अध्यादेश में बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1995, जो राज्य सभा में 31-5-95 को पुर:स्थापित किया गया और 173वें सत्र की समाप्ति तक लंबित था, में अंतर्विष्ट उपबंध शामिल थे।

[120]अध्यादेश में संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, 1995, जो लोक सभा में 8-5-95 को पुर:स्थापित किया गया और दसवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र की समाप्ति तक लंबित था, में अंतर्विष्ट उपबंध शामिल है।

[121]अध्यादेश 7-1-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

* अध्यादेश 5-1-96 को पुन:प्रख्यापित किये गये।

**अध्यादेश 27-3-96 को पुन:प्रख्यापित किये गये।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | *कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 2) | 5-1-96 | — | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | 22-8-95 | अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 32) |
| 3. | *भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 3) | 5-1-96 | — | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 4. | *भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 (1966 का 4) | 5-1-96 | — | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 5. | #कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 5)[122] | 5-1-96 | 1948 के अधिनियम के अंतर्गत पेंशन योजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना। | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 6. | निक्षेपागार अध्यादेश, 1996 (1996 का 6)[123] | 7-1-96 | | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 7. | *उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996 (1996 का 7) | 11-1-96 | मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के सत्कार भत्ते तथा वाहन सुविधाओं में वृद्धि करना। | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 8. | #माध्यस्थम और सुलह अध्यादेश, 1996 (1996 का 8) | 16-1-96 | विदेशी माध्यस्थम निर्णयों आदि के प्रवर्तन तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना। | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 9. | *संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 9) | 27-1-96 | असम राज्य के कोच राजभोंगशी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना। | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 10. | *भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1996 (1996 का 10) | 27-1-96 | प्राधिकरण के निबंधन, शर्तों और शक्तियों का निर्धारण करना। | 2-1-96 | 26-2-96 | 27-2-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 11. | $माध्यस्थम और सुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 11) | 26-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | @कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 12) | 26-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 13. | @औद्योगिक विवाद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 13) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 14. | @कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 14) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 15. | @भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 15) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 16. | @भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 16) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 17. | $निक्षेपागार दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 17) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 18. | $उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 18)[124] | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 19. | **संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 19) | 27-3-96 | — | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |

*अध्यादेश 27-3-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

#अध्यादेश 26-3-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

[122]अध्यादेश में कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1995 जिसे लोक सभा में 19-12-95 को पुर:स्थापित किया गया था और जो दसवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के अंत में लंबित था, में अंतर्विष्ट उपबन्ध शामिल हैं। अध्यादेश 27-3-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

[123]अध्यादेश में निक्षेपागार विधेयक, 16-12-95 को लोक सभा द्वारा यथापारित किन्तु राज्य सभा में 176वें सत्र की समाप्ति तक लम्बित, में अंतर्विष्ट उपबन्ध शामिल हैं। 10वीं लोक सभा के विघटन के साथ विधेयक व्यपगत हो गया। अध्यादेश 27-3-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

$ अध्यादेश 21-6-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

@अध्यादेश 20-6-96 को पुन:प्रख्यापित किया गया।

[124]अध्यादेश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1996, जिसे लोक सभा में 29-2-96 को पुर:स्थापित किया गया और दसवीं लोक सभा के सोलहवें सत्र की समाप्ति पर लंबित था, में अन्तर्विष्ट उपबन्ध शामिल हैं।

**अध्यादेश 27-6-96 को पुन:प्रख्यापित किये गये।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 20) | 27-3-96 | प्राधिकरण के निबंधन शर्तों और शक्तियों का निर्धारण करना। | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | 22-8-95 | अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 32) |
| 21. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 21) | 25-4-96 | कश्मीरी विस्थापितों को ग्यारहवें आम चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु समर्थ बनाना। | 14-3-96 | 22-5-96 | 24-5-96 | - शून्य - | - शून्य - |
| 22. | कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 22) | 20-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 13-8-96 | कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 23) |
| 23. | औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 23) | 20-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 16-8-96 | औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 24) |
| 24. | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 24) | 20-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 16-8-96 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 25) |
| 25. | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 25) | 20-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 19-8-96 | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) |
| 26. | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 26) | 20-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 19-8-96 | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) |
| 27. | माध्यस्थम और सुलह तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 27) | 21-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 16-8-96 | माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) |
| 28. | निक्षेपागार (तीसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का 28) | 21-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 10-8-96 | निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) |
| 29. | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996 (1996 का 29) | 21-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | 31-7-96 | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1996 (1996 का 20) |
| 30. | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का 30) | 27-6-96 | — | 13-6-96 | 10-7-96 | 10-7-96 | — | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 31) | 14-11-96 | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ में संशोधन करना। | 19-9-96 | 20-11-96 | 21-11-96 | – | – |
| 32. | आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 32) | 31-12-96 | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ, 158खग, 158 खङ में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 25-3-97 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (14/1997) |

## 1997

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पत्तन विधि, (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 1) | 9-1-97 | भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 25-3-97 | पत्तन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (15/1997) |
| 2. | भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 2) | 9-1-97 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 28-3-97 | भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 (23/1997) |
| 3. | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 3) | 09-1-97 | असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबंगशी को सम्मिलित करने का उपबंध करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | – | – |
| 4. | चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 4) | 15-1-97 | चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | – | – |
| 5. | निक्षेपागार संबंधी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 5) | 15-1-97 | भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 19-3-97 | निक्षेपागार संबंधी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (8/1997) |
| 6. | विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 6) | 16-1-97 | विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 19-3-97 | विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) अधिनियम, 1997 (6/1997) |
| 7. | औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 7) | 24-1-97 | कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में गठित और पंजीकृत की जाने वाली कंपनी को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों का अंतरण करने और उसमें उनको निहित करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का निरसन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 19-3-97 | औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1997 (7/1997) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | विद्युत निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 8) | 24-1-97 | भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 19-3-97 | औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1997 (7/1997) |
| 9. | राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 9) | 24-1-97 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 25-3-97 | राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (16/1997) |
| 10. | ललित कला अकादमी (प्रबंधन का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1997 (1997 का 10) | 24-1-97 | ललित कला अकादमी के प्रबंधन का जनहित में सीमित अवधि के लिए अधिग्रहण करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 25-3-97 | ललित कला अकादमी (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1997 (17/1997) |
| 11. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का 11) | 25-1-97 | दूरसंचार सेवाओं को विनियंत्रित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 28-3-97 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24/1997) |
| 12. | राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का 12) | 30-1-97 | उन क्षेत्रों, जिनमें उद्योग, औद्योगिक प्रचालन, प्रसंस्करण कार्य अथवा एक वर्ग के उद्योग, औद्योगिक प्रचालन अथवा प्रसंस्करण कार्य नहीं किया जाएगा अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कतिपय सुरक्षोपायों के अधीन अनुमत्य होगा, को प्रतिबंध से संबंधित अपीलों की सुनवाई करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करने का उपबंध करना। | 24-12-96 | 20-2-97 | 20-2-97 | 26-3-97 | राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22/1997) |
| 13. | राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 13) | 5-6-97 | राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 21-5-97 | 23-7-97 | 23-7-97 | 29-8-97 | राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 (35/1997) |
| 14. | सरकारी आवासों का बिना बारी के आवंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1997 (1997 का 14) | 21-6-97 | केन्द्र सरकार द्वारा किए गए बिना बारी के कतिपय आवंटनों को विधिमान्य करना। | 21-5-97 | 23-7-97 | 23-7-97 | – | – |
| 15. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) | 16-9-97 | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 1क में और संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | – | – |
| 16. | वित्त अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 16) | 16-9-97 | वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 21और वित्त (स॰ 2) अधिनियम, 1996 की धारा 33 में और संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 17) | 22-9-97 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6, 7घ, 7च और धारा 16 में और संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 18. | उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 18) | 24-9-97 | उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधिनियम 39 की धारा 4 में और संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 19. | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 19) | 26-9-97 | वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 89, 132, 369 और 436 में और संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 20. | लॉटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 20) | 1-10-97 | लाटरी को विनियमित करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 21. | आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 1997 (1997 का 21) | 3-10-97 | आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी में संलिप्त व्यक्तियों के साथ और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अस्थायी अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके कतिपय विशेष उपबंध करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 22. | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 (1997 का 22) | 29-10-97 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करना। | 2-9-97 | 19-11-97 | 20-11-97 | — | | — |
| 23. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 23) | 23-12-97 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 [धारा 159(1)] में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | | — |
| 24. | वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 24) | 24-12-97 | वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (सं॰ 2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | | — |
| 25. | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 25) | 25-12-97 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | | — |
| 26. | उपदान संदाय (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 26) | 25-12-97 | उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | | — |
| 27. | वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 27) | 25-12-97 | वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | | — |
| 28. | आयकर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 28) | 26-12-97 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | 6-4-98 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 7) | |

*ग्यारहवीं लोक सभा के छठे सत्र का समापन नहीं किया गया तथापि 2.12.97 को सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा 4.12.97 को ग्यारहवीं लोक सभा भंग कर दी गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 29) | 26-12-97 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | 6-4-98 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 7) |
| 30. | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 30) | 26-12-97 | भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | — |
| 31. | लॉटरी (विनियमन)दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 31) | 30-12-97 | लॉटरी का विनियमन और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | — |
| | | | **1998** | | | | | |
| 1. | आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 1998 (1998 का 1) | 2-1-98 | आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी में संलिप्त कंपनियों के साथ और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अस्थायी अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में संशोधन करके कतिपय विशेष उपबंध करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | — |
| 2. | राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अध्यादेश, 1998 (1998 का 2) | 21-1-98 | राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना और उसके समावेशन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | — |
| 3. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 3) | 22-1-98 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 60) में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 25-3-98 | — | — |
| 4. | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 4) | 24-1-98 | भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करना। | *2-12-97 | 23-3-98 | 26-3-98 | 29-3-98 | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 (4/1998) |
| 5. | वित्त (संशोधन)अध्यादेश, 1998 (1998 का 5) | 21-4-98 | वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करना। | *6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 7-7-98 | वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1998 (16/1998) |
| 6. | लॉटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 6) | 23-4-98 | लॉटरी का विनियमन और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | *6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 7-7-98 | लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (17/1998) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 7) | 23-4-98 | वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 22-6-98 | वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (9/1998) |
| 8. | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 8) | 23-4-98 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 22-6-98 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1998 (10/1998) |
| 9. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा) अध्यादेश, 1998 (1998 का 9) | 23-4-98 | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना और इसके समावेशन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 26-6-98 | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (13/1998) |
| 10. | उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 10) | 23-4-98 | उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 22-6-98 | उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1998 (11/1998) |
| 11. | उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का 11) | 24-4-98 | उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 7-7-98 | उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1998 (18/1998) |
| 12. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 12) | 24-4-98 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 [(धारा 159(1)] में और संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 22-6-98 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1998 (12/1998) |
| 13. | आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 13) | 25-4-98 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | - | - |
| 14. | विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश, 1998 (1998 का 14) | 25-4-98 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के स्थापन, विद्युत शुल्क को युक्तिसंगत करने, राजसहायता संबंधी पारदर्शी नीतियों, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों के प्रोत्साहन का और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 6-4-98 | 27-5-98 | 27-5-98 | 2-7-98 | विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14/1998) |
| 15. | केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 (1998 का 15) | 25-8-98 | केन्द्रीय सरकार के कतिपय श्रेणियों के लोक सेवकों, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों की जांच करने अथवा जांच करवाने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग गठन का उपबंध करना। | 10-8-98 | 30-11-98 | 2-12-98 | - | - |

*ग्यारहवीं लोक सभा के छठे सत्र का समापन नहीं किया गया तथापि 2.12.97 को सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा 4.12.97 को ग्यारहवीं लोक सभा भंग कर दी गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का 16) | 29-8-98 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में और संशोधन करना। | 10-9-98 | 30-11-98 | 2-12-98 | 29.8.98 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008 (12/2008) |
| 17. | तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का 17) | 3-9-98 | तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करना। | 10-8-98 | 30-11-98 | 2-12-98 | 2-12-98 | तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1998 (29/1998) |
| 18. | केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 18) | 27-10-98 | केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 में संशोधन करना। | 10-8-98 | 30-11-98 | 7-12-98 | 11-9-03 | केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (45/2003) |
| 19. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 19) | 31-10-98 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 10-8-98 | 30-11-98 | 2-12-98 | – | – |
| 20. | वित्त (संख्यांक 2) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का 20) | 31-12-98 | वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 में संशोधन करना। | – | – | – | – | – |
| | | | **1999** | | | | | |
| 1. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 1) | 7-1-99 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 31-2-98 | 22-2-99 | 22-2-99 | 1-4-99 | कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 (21/1999) |
| 2. | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 2) | 7-1-99 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करना। | 31-12-98 | 22-2-99 | 22-2-99 | 7-1-99 | – |
| 3. | पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 3) | 8-1-99 | पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करना। | 31-12-98 | 22-2-99 | 22-2-99 | 26-3-99 | पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 (17/1999) |
| 4. | केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का 4) | 8-1-99 | केन्द्रीय सरकार के कतिपय श्रेणियों के लोक सेवकों, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों की जांच करने अथवा जांच करवाने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन का उपबंध करना। | 31-12-98 | 22-2-99 | 22-2-99 | 8-1-99 | – |
| 5. | नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (1999 का 5) | 11-1-99 | नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करना। | 31-12-98 | 22-2-99 | 22-2-99 | 22-3-99 | नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 (15/1999) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 6) | 18-1-1999 | संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (धारा 8कक का अंत:स्थापन) में और संशोधन करना। | 31-12-1998 | 22-2-1999 | 22-2-1999 | 22-3-1999 | संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1999 (16/1999) |
| 7. | आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 7) | 1-7-1999 | आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | *22-4-1999 | 20-10-1999 | 25-10-1999 | 16-11-1999 | आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 (28/1999) |
| 8. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 8) | 21-7-1999 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 60) में और संशोधन करना। | *22-4-1999 | 20-10-1999 | 25-10-1999 | 16-11-1999 | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1999 (30/1999) |
| 9. | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 9) | 28-7-1999 | भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (धारा 2) में और संशोधन करना। | *22-4-1999 | 20-10-1999 | 25-10-1999 | 16-11-1999 | भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 (29/1999) |
| 10. | विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का 10) | 18-11-1999 | विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करना। | 1-11-1999 | 29-11-1999 | 29-11-1999 | 16-12-1999 | विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 1999 (35/1999) |

## 2000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का 1) | 17-1-2000 | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1963 में और संशोधन करना। | 27-12-1999 | 23-2-2000 | 23-2-2000 | 25-3-2000 | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2000 (1/2000) |
| 2. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का 2) | 24-1-2000 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन करना। | 27-12-1999 | 23-2-2000 | 23-2-2000 | 25-3-2000 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2/2000) |
| 3. | भारतीय विश्व मामले परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) | 1-9-2000 | भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और इसके समावेशन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 28-8-2000 | 20-11-2000 | 21-11-2000 | – | – |
| 4. | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का 4) | 26-9-2000 | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करना। | 28-8-2000 | 20-11-2000 | 21-11-2000 | 30-12-2000 | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 (55/2000) |
| 5. | केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का 5) | 1-11-2000 | राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल क्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्चगति डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए 1988 में पारित संसद के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करना। | 28-8-2000 | 20-11-2000 | 21-11-2000 | 27-12-2000 | केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (54/2000) |

*बारहवीं लोक सभा के चौथे सत्र का समापन नहीं किया गया तथापि 22.4.1999 को सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया तथा 26.4.1999 को राष्ट्रपति द्वारा बारहवीं लोक सभा भंग कर दी गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2001** | | | | | |
| 1. | भारतीय विश्व मामले परिषद अध्यादेश, 2001 (2001 का 1) | 5-1-2001 | भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और इसके समावेशन तथा उसे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 22-12-2000 | 19-2-2001 | 22-2-2001 | - | - |
| 2. | कराधान निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 2) | 3-2-2001 | वित्त अधिनियम, 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 22-12-2000 | 19-2-2001 | 22-2-2001 | 20-3-2001 | कराधान निधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 (4/2001) |
| 3. | भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का 3) | 8-5-2001 | भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और इसके समावेशन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 3-5-2001 | 23-7-2001 | 24-7-2001 | 3-9-2001 | भारतीय विश्व मामले परिषद अधिनियम, 2001 (29/2001) |
| 4. | खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 4) | 22-5-2001 | खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करना। | 3-5-2001 | 23-7-2001 | 24-7-2001 | 29-8-2001 | खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 (27/2001) |
| 5. | पशुधन आयात (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 5) | 5-7-2001 | पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में और संशोधन करना। | 3-5-2001 | 23-7-2001 | 24-7-2001 | 29-8-2001 | पशुधन आयात (संशोधन) अधिनियम, 2001 (28/2001) |
| 6. | प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 6) | 21-9-2001 | प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 3-9-2001 | 19-11-2001 | 20-11-2001 | - | - |
| 7. | कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 7) | 23-10-2001 | कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 3-9-2001 | 19-11-2001 | 20-11-2001 | 22-12-2001 | कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (57/2001) |
| 8. | पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 8) | 23-10-2001 | पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करना। | 3-9-2001 | 19-11-2001 | 20-11-2001 | - | - |
| 9. | आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 का 9) | 24-10-2001 | आतंकवादी गतिविधियों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना | 3-9-2001 | 19-11-2001 | 20-11-2001 | - | - |
| 10. | प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 (2001का 10) | 30-12-2001 | प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 21-12-2001 | 25-2-2002 | 25-2-2002 | 28-3-2002 | प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन), अधिनियम, 2002 (16/2002) |
| 11. | पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 2001 (2001 का 11) | 30-12-2001 | पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करना। | 21-12-2001 | 25-2-2002 | 25-2-2002 | 28-3-2002 | पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (17/2002) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का 12) | 30-12-2001 | आतंकवादी गतिविधियों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 21-12-2001 | 25-2-2002 | 25-2-2002 | 28-3-2002 | आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (15/2002) |
| | | | **2002** | | | | | |
| 1. | केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 1) | 10-1-2002 | केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करना। | 21-12-2001 | 25-2-2002 | 25-2-2002 | - | - |
| 2. | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 (2002 का 2) | 21-6-2002 | वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन को विनियमित करना और प्रतिभूति हित के प्रर्वतन को विनियमित करने एवं उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना। | 22-5-2002 | 15-7-2002 | 16-7-2002 | - | - |
| 3. | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का 3) | 21-8-2002 | वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन को विनियमित करना और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को विनियमित करने एवं उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना। | 16-8-2002 | 8-11-2002 | 18-11-2002 | 17-12-2002 | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54/2002) |
| 4. | लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 4) | 24-8-2002 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करना। | 16-8-2002 | 18-11-2002 | 18-11-2002 | 28-12-2002 | लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 (72/2002) |
| 5. | भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 5) | 29-10-2002 | भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम को छोड़कर) को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत की जाने वाली विनिर्दिष्ट कंपनी को अंतरित करने तथा उसमें निहित करने एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को प्रशासक में निहित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का एवं यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का निरसन करने हेतु भी उपबंध करना। | 16-8-2002 | 18-11-2002 | 18-11-2002 | 17-12-2002 | भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (58/2002) |
| 6. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 6) | 29-10-2002 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करना। | 16-8-2002 | 18-11-2002 | 18-11-2002 | 17-12-2002 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) (अधिनियम, 2002) (59/2002) |
| 7. | दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 (2002 का 7) | 29-10-2002 | दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करना एवं उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 16-8-2002 | 18-11-2002 | 18-11-2002 | 17-12-2002 | दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (60/2002) |
| | | | **2003** | | | | | |
| 1. | सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 1) | 20-1-2003 | सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करना। | 24-12-2002 | 17-2-2003 | 17-2-2003 | 27-3-2003 | सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (25/2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 2) | 8-9-2003 | आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, और व्यय-कर अधिनियम, 1987 में और संशोधन करना। | 26-08-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 30-12-2003 | कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 (54/2003) |
| 3. | राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 (2003 का 3) | 16-10-2003 | राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन और उक्त अधिकरण द्वारा वस्तुओं पर शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वस्तुओं पर ऐसे शुल्कों की दरों के निर्धारण से संबंधित विवादों और संविधान के अनुच्छेद 332ख के अनुसरण में सेवा कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में भी और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों में न्यायनिर्णयन करने का उपबंध करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | - | - |
| 4. | आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 4) | 27-10-2003 | आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 2-1-2004 | आतंकवाद निवारण संशोधन अधिनियम, 2003 (4/2004) |
| 5. | लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 5) | 29-10-2003 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1950 और 1951 के अधिनियम 43 का संशोधन) में और संशोधन करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 1-1-2004 | लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2004 (2/2004) |
| 6. | परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 6) | 31-10-2003 | परिसीमन अधिनियम, 2002 (धारा 3, 4, 8 और 9) में संशोधन करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 1-1-2004 | परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2004 (3/2004) |
| 7. | भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 7) | 5-11-2003 | भारतीय तार अधिनियम, 1865 में और संशोधन करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 9-1-2004 | भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2004 (8/2004) |
| 8. | भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 8) | 7-11-2003 | भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में और संशोधन करना। | 26-8-2003 | 2-12-2003 | 3-12-2003 | 30-12-2003 | भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2003 (58/2003) |
| | | | **2004** | | | | | |
| 1. | आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का 1) | 21-9-2004 | आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के निरसन हेतु अध्यादेश। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 21-12-2004 | आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम, 2004 (26/2004) |
| 2. | विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का 2) | 21-9-2004 | विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करना। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 29-12-2004 | विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 (29/2004) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश, 2004 (2004 का 3) | 24-9-2004 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करना। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 20-12-2004 | बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2004 (24/2004) |
| 4. | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का 4) | 12-10-2004 | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करना। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 6-1-2005 | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 (1/2005) |
| 5. | प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का 5) | 11-11-2004 | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन करना तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 एवं कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 29-12-2004 | प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 (30/2004) |
| 6. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का 6) | 11-11-2004 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानआयोग का गठन करना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 30-8-2004 | 1-12-2004 | 1-12-2004 | 6-1-2005 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2/2005) |
| 7. | पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का 7) | 26-12-2004 | पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करना। | 24-12-2004 | 25-2-2005 | 25-2-2005 | 4-4-2005 | पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 (15/2005) |
| 8. | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (2004 का 8) | 29-12-2004 | पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा का संवर्धन करने एवं पेंशन निधि की योजनाओं के अंशदाताओं के हितों की सुरक्षा करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने का उपबंध करना। | 24-12-2004 | 25-2-2005 | 25-2-2005 | – | – |
| | | | **2005** | | | | | |
| 1. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2005 (2005 का 1) | 25-1-2005 | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विगत अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क से छूट संबंधी कतिपय अधिसूचनाओं में और संशोधन करना तथा इस अवधि के दौरान ऐसी अधिसूचनाओं के तहत की-गई-कार्रवाई का विधिमान्यकरण। | 24-12-2004 | 25-2-2005 | 25-2-2005 | – | – |
| 2. | नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का 2) | 28-6-2005 | नागरिकता अधिनियम, 1955 (धारा 2, 5 और 7क) में और संशोधन करना। | 17-5-2005 | 25-7-2005 | 26-7-2005 | 24-8-2005 | नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (32/2005) |
| 3. | मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2005 का 3) | 13-10-2005 | मणिपुर राज्य में एक शिक्षण तथा संबद्धक विश्व-विद्यालय की स्थापना और इसका समावेशन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 1-9-2005 | 23-11-2005 | 25-11-2005 | 28-12-2005 | मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (54/2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का 4) | 31-10-2005 | आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करना। | 1-9-2005 | 23-11-2005 | 25-11-2005 | 28-12-2005 | कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 (55/2005) |
| | | | **2006** | | | | | |
| 1. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का 1) | 23-1-2006 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 में संशोधन करना। | 28-12-2005 | 16-2-2006 | 16-2-2006 | 28-3-2006 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 (18/2006) |
| 2. | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2006 (2006 का 2) | 11-9-2006 | कतिपय संस्थाओं से प्राप्त अध्यापक शिक्षा की अर्हताओं के विधिमान्यकरण का और गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं के संचालन पर शास्ति निर्धारित करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 में संशोधन करना। | 30-8-2006 | 22-11-2006 | 23-11-2006 | 29-12-2006 | — |
| 3. | भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का 3) | 30-10-2006 | भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करना। | 30-8-2006 | 22-11-2006 | 23-11-2006 | 29-12-2006 | भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 (57/2006) |
| | | | **2007** | | | | | |
| 1. | बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 1) | 23-1-2007 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करना। | 21-12-2006 | 23-2-2007 | 26-2-2007 | 28-3-2007 | बैंककारी विनिमयन (संशोधन) अधिनियम, 2007 (17/2007) |
| 2. | राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 2) | 29-1-2007 | राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में और संशोधन करना। | 21-12-2006 | 23-2-2007 | 26-2-2007 | 3-4-2007 | राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (19/2007) |
| 3. | राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 3) | 29-1-2007 | राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (धारा 5, 6 और 13) में और संशोधन करना। | 21-12-2006 | 23-2-2007 | 26-2-2007 | 3-4-2007 | राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2007 (18/2007) |
| 4. | खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 (2007 का 4) | 2-2-2007 | प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के जरिये निःशुल्क प्रसारण के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं तक अधिकाधिक श्रोताओं और दर्शकों की पहुंच बनाने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 21-12-2006 | 23-2-2007 | 26-2-2007 | 19-3-2007 | खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (11/2007) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 5) | 21-6-2007 | भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1953 (धारा 3, 5, 10, 11, 18, 19, 24 और 36) में और संशोधन करना। | 21-5-2007 | 10-8-2007 | 13-8-2007 | 3-9-2007 | भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 (32/2007) |
| 6. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 (2007 का 6) | 4-7-2007 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आगे एक और वर्ष की अवधि तक और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबंध करना। | 21-5-2007 | 10-8-2007 | 13-8-2007 | _ | _ |
| 7. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 (2007 का 7) | 15-9-2007 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि के लिए और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबंध करना। | 11-9-2007 | 15-11-2007 | 19-11-2007 | 5-12-2007 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (43/2007) |
| 8. | बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 8) | 27-10-2007 | बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (धारा 2, 12 और 32) में और संशोधन करना। | 11-9-2007 | 15-11-2007 | 19-11-2007 | 12-12-2007 | बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007 (45/2007) |

## 2008

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 1) | 14-1-2008 | परिसीमन अधिनियम, 2002 (धारा 10) में और संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | 28-3-2008 | परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 (9/2008) |
| 2. | रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 2) | 31-1-2008 | रेल अधिनियम, 1989 (धारा 2 और अध्याय 4) में और संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | 28-3-2008 | रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (11/2008) |
| 3. | अग्रिम संविदा (विनियमन संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 3) | 31-1-2008 | अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | - | - |
| 4. | चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 4) | 5-2-2008 | चीनी विकास अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में और संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | 24-3-2008 | चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 (4/2008) |
| 5. | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 5) | 7-2-2008 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (धारा 6) में और संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | 28-3-2008 | प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (12/2008) |
| 6. | खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 6) | 7-2-2008 | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (धारा 3, 5 और 7) में संशोधन करना। | 12-12-2007 | 25-2-2008 | 26-2-2008 | 28-3-2008 | खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 (13/2008) |
| 7. | कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 7) | 3-7-2008 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन करना। | 12-5-2008 | 21-7-2008 (प्वाइंट-I) | 21-7-2008 | - | - |
| 8. | कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात् विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का 8) | 13-10-2008 | कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करना। | 12-5-2008 | 17-10-2008 (प्वाइंट-II) | 20-10-2008 | 6-3-2009 | कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (20/2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2009** | | | | | |
| 1. | उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का 1) | 9-1-2009 | उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (धारा 13क, 17क, 22क, 12क, 16क, 16ख, 23, 23ख) में संशोधन करना। | 24-12-2008 | 12-2-2009 | 13-2-2009 | 16-3-2009 | उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (23/2009) |
| 2. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का 2) | 10-1-2009 | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (धारा 2, 3, 4, 7, 10, 14 और 15) में और संशोधन करना। | 24-12-2008 | 12-2-2009 | 13-2-2009 (रा॰स॰) | 16-3-2009 | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009 (22/2009) |
| 3. | केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का 3) | 15-1-2009 | विभिन्न राज्यों में शिक्षण और शोध के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और समावेशन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। | 24-12-2008 | 12-2-2009 | 13-2-2009 | 16-3-2009 | केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (25/2009) |
| 4. | मेघालय विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2009 (2009 का 4) | 31-3-2009 | मेघालय राज्य की संचित निधि से और उसमें से वित्त वर्ष 2009-2010 के एक भाग की सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के आहरण का उपबंध करना। | 2-3-2009 | 1-6-2009 | - | 4-6-2009 | - |
| 5. | मेघालय विनियोग अध्यादेश, 2009 (2009 का 5) | 31-3-2009 | मेघालय राज्य की संचित निधि से और उसमें से वित्त वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देना। | 2-3-2009 | 1-6-2009 | - | 4-6-2009 | - |
| 6. | प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का 6) | 14-10-2009 | प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में और संशोधन करना। | 11-8-2009 | 19-11-2009 | 19-11-2009 | 22-12-2009 | प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 (39/2009) |
| 7. | झारखंड आक्स्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का 7) | 20-10-2009 | झारखंड आक्स्मिकता निधि अधिनियम, 2001 में संशोधन करना। | 11-8-2009 | 19-11-2009 | 19-11-2009 | 22-12-2009 | झारखंड आक्स्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 (37/2009) |
| 8. | केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का 8) | 20-10-2009 | केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करना। | 11-8-2009 | 19-11-2009 | 19-11-2009 | 22-12-2009 | केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (38/2009) |
| 9. | आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का 9) | 21-10-2009 | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना और उद्गृहीत चीनी की कीमत का अवधारण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कतिपय आदेशों तथा उन आदेशों के अधीन की गई कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। | 11-8-2009 | 19-11-2009 | 19-11-2009 | 22-12-2009 | आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2009 (36/2009) |

## 2010

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का 1) | 23-1-2010 | प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की गई कतिपय कार्रवाई के विधिमान्यकरण का उपबंध करने के लिए। | 27-12-2009 | 22-2-2010 | 22-2-2010 | 29-3-2010 | प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधि-मान्यकरण) अधिनियम, 2010 (10/2010) |
| 2. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का 2) | 15-5-2010 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए (नई धारा 3क, 3ख और 3ग का अन्त:स्थापन)। | 11-5-2010 | 26-7-2010 | 27-7-2010 | 4-9-2010 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 (32/2010) |
| 3. | प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का 3) | 18-6-2010 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए। | 11-5-2010 | 26-7-2010 | 27-7-2010 | 20-8-2010 | प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 (26/2010) |
| 4. | शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण)अध्यादेश, 2010 (2010 का 4) | 2-7-2010 | शत्रु सम्पति अधिनियम, 1968 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए। | 11-5-2010 | 26-7-2010 | 27-7-2010 | - | - |

## 2011

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का 1) | 10-5-2011 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (धारा 3 क) का और संशोधन करने के लिए। | 29-3-2011 | 1-8-2011 | 2-8-2011 | 8-9-2011 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011 (13/2011) |
| 2. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का 2) | 20-6-2011 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करने तथा उसके निगमन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। | 29-3-2011 | 1-8-2011 | 2-8-2011 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 (2011 का 3) | 25-10-2011 | केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने तथा भारत में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा अनुशंसित डिजिटल अड्रेसेबल केबल प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए। | 15-9-2011 | 22-11-2011 | 22-11-2011 | 30-12-2011 | केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 (21/2011) |
| | | | **2012** | | | | | |
| 1. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का 1) | 16-7-2012 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए और राज्यों में चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए (एम्स, नई दिल्ली के समान) छह और एम्स को कार्यरत करने के लिए। | 28-5-2012 | 8-8-2012 | 8-8-2012 | 12-9-2012 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (37/2012) |
| | | | **2013** | | | | | |
| 1. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का 1) | 21-1-2013 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (धारा 15ङ) का और संशोधन करने के लिए। | 24-12-2012 | 21-2-2013 | 22-2-2013 | – | – |
| 2. | संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन अध्यादेश, 2013 (2013 का 2) | 30-1-2013 | लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के पुन:समायोजन का उपबंध करने के लिए। | 24-12-2012 | 21-2-2013 | 22-2-2013 | – | – |
| 3. | दंड विधि (संशोधन)अध्यादेश, 2013 (2013 का 3) | 3-2-2013 | भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने के लिए। | 24-12-2012 | 21-2-2013 | 22-2-2013 | 2-4-2013 | दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (13/2013) |
| 4. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन)अध्यादेश, 2013 (2013 का 4) | 21-5-2013 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए। | 10-5-2013 | 5-8-2013 | 5-8-2013 | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का 5) | 29-5-2013 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (धारा 15ङ) का और संशोधन करने के लिए। | 10-5-2013 | 5-8-2013 | 5-8-2013 | 12-9-2013 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013 (22/2013) |
| 6. | संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन (दूसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का 6) | 5-6-2013 | लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के पुन:समायोजन का उपबंध करने के लिए। | 10-5-2013 | 5-8-2013 | 5-8-2013 | - | - |
| 7. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का 7) | 5-7-2013 | जनसाधारण को गरिमामयी जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। | 10-5-2013 | 5-8-2013 | 5-8-2013 | 10.9.2013 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (20/2013) |
| 8. | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का 8) | 18-7-2013 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए। | 10-5-2013 | 5-8-2013 | 5-8-2013 | - | - |
| 9. | प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का 9) | 16-9-2013 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए। | 10-9-2013 | 5-12-2013 | 9-12-2013 | - | - |
| 10. | संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन (तीसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का 10) | 27-9-2013 | लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के पुन:समायोजन का उपबंध करने के लिए। | 10-9-2013 | 5-12-2013 | 9-12-2013 | - | - |
| 11. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) | 28-9-2013 | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए। | 10-9-2013 | 5-12-2013 | 9-12-2013 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2014** | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का 1) | 4-3-2014 | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए। | 27-2-2014 | 4-6-2014 | 16-7-2014 | - | - |
| 2. | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 2) | 28-3-2014 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए। | 27-2-2014 | 4-6-2014 | 4-8-2014 | 22-8-2014 | प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (27/2014) |
| 3. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 2014 (2014 का 3) | 28-5-2014 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (धारा 5) का और संशोधन करने के लिए। | 27-2-2014 | 4-6-2014 | 9-6-2014 | 17-7-2014 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (20/2014) |
| 4. | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 4) | 29-5-2014 | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (धारा 3) का और संशोधन करने के लिए। | 27-2-2014 | 4-6-2014 | 9-6-2014 | 17-7-2014 | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (19/2014) |
| 5. | कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का 5) | 21-10-2014 | कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को खनन पट्टों के साथ ही साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने का उपबंध करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए। | 14-8-2014 | 24-11-2014 | 25-11-2014 | - | - |
| 6. | कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 (2014 का 6) | 24-10-2014 | पट्टाधृति पूरा होने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित पट्टाधृत अधिकारों को बनाये रखने के लिए रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए। | 14-8-2014 | 24-11-2014 | 25-11-2014 | 17-12-2014 | कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 (36/2014) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का 7) | 26-12-2014 | कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को खनन पट्टों के साथ ही साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने का उपबंध करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए। | 23-12-2014 | 23-2-2015 | 23-2-2015 | 30-3-2015 | कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (11/2015) |
| 8. | बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 8) | 26-12-2014 | बीमा अधिनियम, 1938 साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए। | 23-12-2014 | 23-2-2015 | 23-2-2015 | 20-3-2015 | बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (5/2015) |
| 9. | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) | 31-12-2014 | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए। | 23-12-2014 | 23-2-2015 | 23-2-2015 | - | - |



GMGIPMRND—1159LS(S3)—11-12-2015—200 Copies.